Annexure_20.4

समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक–04 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों हेतु ग्राम पोरोकमेली, तहसील–बड़ेबचेली, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की निजी भूमि अधिग्रहण में भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के परिपेक्ष्य में समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एंव समाजिक समाघात प्रबंधन योजना

ग्राम का नाम :– पोरोकमेली
प0ह0न0 :– 01 / भांसी
तहसील :– बड़ेबचेली
जिला :– दन्तेवाड़ा

TAHSILDAR
Bade Bacheli

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

प्रस्तावना

भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता 30 मिलीयन टन प्रतिवर्ष हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 437 मिलियन टन लौह अयस्क की आवश्यकता होगी। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इस्पात संयंत्रों जैसे कि आर.आई.एन.एल., के.आइ.ओ.सी.एल., जे.एस.डब्ल्यू., छत्तीसगढ़ तथा समीपवर्ती राज्यों में स्थित इस्पात तथा स्पंज आयरन उद्योग, लौह अयस्क की कमी से जूझ रहे हैं । भविष्य में उच्च ग्रेड के लौह अयस्क की भारी मांग पैदा होगी, जिसकी आपूर्ति हेतु वर्तमान में मौजूद खदानों का विस्तारीकरण तथा नई खदानों को चालू करना होगा।

प्रस्तावित बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 04 छत्तीसगढ़ के दंतेवाडा जिला में स्थित है। प्रभावित ग्राम भांसी एवं इसके आश्रित ग्राम पोरोकमेली तथा समीपस्थ ग्रामों में वर्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, अधोसंरचना एवं रोजगार के अवसर बहुत ही सीमीत है। उक्त परियोजना के आने से विकासात्मक दर एवं अधोसंरचना के गुणांक में पड़ रहे सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव की चर्चा इस प्रतिवेदन में की गई है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम पंचायत भांसी एवं इसके आश्रित ग्राम पोरोकमेली के समीपस्थ वन भुमि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की क्षतिपुर्ति वृक्षारोपण/अंतराल वृक्षारोपण के माध्यम से करना होगा एवं परियोजना स्थल पर अन्य पर्यावरण हितैषी तकनिकी का उपयोग करना आवश्यक होगा। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ग्राम भांसी एवं पोरोकमेली तथा समीपस्थ ग्रामों के सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक स्तर पर व्यापक रूप से सुधार होने की प्रबल सम्भावनायें है।

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

TAHSILDAR
Bada Bacheli

प्रारूप–तीन
समाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन
(नियम 23)

1. परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिंकी का विवरणः–

(क) कुल जनसंख्या – 200 (एक) पुरूष – 104 (दो) महिला – 96

(ख) बच्चों की संख्या – 74 (एक) पुरूष – 34 (दो) महिला – 40

(ग) जातिवार जनसंख्या (एक) अ.ज.जा. –91 (दो) अ.जा.–0 (तीन) अ.पि.व. 109 (चार) अन्य– 0

(घ) धर्मवार जनसंख्या (एक) हिन्दू –185 (दो) मुस्लिम –00 (तीन) सिक्ख –00

(चार) ईसाई – 15 (पांच) बौद्ध –00 (छः) अन्य –00

2. गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या – 64
3. वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या – 20
4. निराश्रित पेंशनरों की संख्या – 13
5. निरक्षर पुरूष एवं महिलाओं की संख्या : पुरूष 82 महिला 72
6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन
7. प्रशासनीक संगठन
   सचिव –1
   पटवारी –1
   ग्रामिण कृषि विस्तार अधिकारी –1
   रोजगार सहायक –1
   हैण्डपंप तकनीशियन –1
   फारेस्ट गार्ड –1
   ग्रामिण उद्यान विस्तार अधिकारी –1
   आंगनबाड़ी कार्यकर्ता –1
8. राजनितिक संगठन – सरपंच
9. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य – नहीं
10. भूमि का उपयोग–
   (एक) कृषि भूमि – 44 हे.
   (दो) पड़त भूमि – 15.72 हे. (2–5 साल पड़ती), 9.23 (चालू पड़ती)
   (तीन) सिंचित एक फसल भूमि – 0.590 हे.
   (चार) सिंचित दुफसली भूमि – 1.270 हे.
   (पांच) असिंचित भूमि – 47.030

11. भूमि का आकार–
   (एक) लघु कृषकों की संख्या – 06
   (दो) सीमांत कृषकों की संख्या – 60
   (तीन) भूमिहीन कृषकों की संख्या – 00 दीर्घ कृषकों की संख्या – 01
   (चार) सिंचित दुफसली भूमि – 1.270 हे.

Banjara
SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

(पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक) – 17

12. पशुधन– (एक) पशुधन की संख्या – 450
(दो) दुधारू पशुधन की संख्या – 105

13. प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार – कृषि एवं मजदुरी

14. पलायन – रोजगार हेतु

15. रोजगार में महिलाओं की भागीदारी – 60 प्रतिशत

16. खाद्य सुरक्षा – खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित

17. अन्य स्थानीय रोजगार – देशी मशरूम संग्रहण, महुआ संग्रहण, तेंदुपत्ता संग्रहण, जलाऊ लकड़ी संग्रहण, हर्रा, बहेरा, चार, सल्फी रस, छिंद रस, ताड़ी रस एवं रोजगार गारंटी आदि।

18. मजदूरी दर – 221/– रू.

19. ऋण तक पहुँच – हॉ

20. परिवहन एवं सडक – उपलब्ध है।

21. सिंचाई – ट्युबवेल से।

22. बाजार तक पहुँच – सुगम रास्ता उपलब्ध – भांसी बाजार

23. पर्यटन स्थल – निरंक।

24. सहकारी संस्थाएँ – आदिम जाति सेवा सहकारी समेती मर्यादित भांसी

25. रहन सहन–
(एक) धारणाएं, सौदर्यपक्तता मोह एवं अभिलाषा – सामान्य
(दो) गृह – कुछ ही घर पक्के हैं, अधिकाँश घर स्थानीय भूमि निर्माण सामग्री जैसे की मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, लोहे की शीट आदि का उपयोग करके बने हुए हैं ।
(तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान – ग्राम में सामुदायिक भवन, मेला स्थल, बाज़ार हाट स्थल उपलब्ध है।
(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल –शिव मंदिर, आंगा देव – हूरूमारा एवं शीतला माता गुड़ी
(पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज सिस्टम इत्यादि) – जलआपूर्ति उपलब्ध
(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनबाडी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि) – उपलब्ध
(सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा – दुसरे के साथ प्रेम भाव से जीवन निर्वाह कर रहे है और स्थानीय कानुन और व्यवस्था सही है।

महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. भूमि, जीविका और आय पर समाघात–

(क) रोजगार के स्तर और प्रकार – ग्राम में अधिकाँश जन कृषि एवं मजदुरी पर निर्भर है। रोजगार के साधन सिमित हैं ।
(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके – कृषि एवं मजदुरी
(ग) आय के स्तर – निम्न
(घ) खाद्य सुरक्षा – खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित है, ग्राम में कुल गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्ड की संख्या 64 है।
(ङ.) जीवन निर्वाह का स्तर – औसत से कम
(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण – हॉ
(छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच – हॉ

Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

2. भौतिक संसाधनों पर समाघात–

(क) प्राकृतिक संसाधनो (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात – दबाव पड़ेगा एवं मिटिगेसन / क्षतिपूर्ति मेजर्स अपनाया जाये।

(ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव – दबाव पड़ेगा एवं मिटिगेसन / क्षतिपूर्ति मेजर्स अपनाया जाये।

3. निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात –

(क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता – स्तर में वृध्दि होगी।

(ख) गृह सुविधा की क्षमता – बढ़ेगी।

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव – कम होगा।

(घ) बिजली व जल पूर्ति की र्प्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली – सुधरेंगी।

(ड.) अपराध एवं अवैध कियाकलाप – संभावना बढ़ेगी।

(च) विस्थापन का तनाव – परीयोजना मे पहले विस्थापन किया का प्रबंध किया जायेगा।

(छ) निजी संपत्तियों जैसे बोरवेल इत्यादि पर समाघात – प्रभावित होंगे जैसे कि निजीमकान, पशु सेड तथा पेड़ पौधे।

4. स्वास्थ्य समाघात–

(क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात – उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होंगी।

(ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात – उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होंगी।

5. सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियो पर समाघात–

(क) स्थानीय राजनीति संरचना का रूपान्तरण – प्रभावित नहीं होंगे।

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन – परियोजना की सुरूआत होने से ग्राम एवं समिपस्थ लोगो की रोजगार मिलने से जनसंख्या में वृध्दि होगी।

(ग) आर्थिक, पारिस्थितिक संतुलन में परिवर्तन – सुधार एवं बढ़ोत्तरी की संभावना है।

(घ) मापदन्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात – प्रभावित नही होंगें ।

(ड.) अपराध एवं अवैध कियाकलाप – संभावनाए बढ़ेगी।

(च) विस्थापन का तनाव – परीयोजना मे पहले विस्थापन किया का प्रबंध किया जायेगा।

(छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाघात – संयुक्त परिवारों के विखण्डन नहीं होगा।

6. चकीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात– चकीय परियोजना नहीं है इस हेतु लागु नही होता।

(क) पूर्व–सन्निर्माण चरण

(ख) सन्निर्माण चरण

(ग) प्रवर्तक चरण

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण

(ड.) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समाघात

(च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हांकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बचेली

TAHSILDAR
Bade Bacheli

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

प्रारूप–चार

(नियम 23 (9) देखिये)

बैलाडीला लौह अयस्क क्रमांक – 4 परियोजना हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बचेली

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

अध्याय 1 – कार्यकारी सार

(क) परियोजना और लोक प्रयोजन :–

भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने अपनी राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत 2030–31 तक 30 मिलीयन टन इस्पात उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य रखा है इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को लगभग 437 मिलियन टन लौह अयस्क की आवश्यकता होगी । देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इस्पात संयंत्रों जैसे कि आरआईएनएल, केआइओसीएल, जेएसडब्ल्यू, छत्तीसगढ़ तथा समीपवर्ती राज्यों में स्थित इस्पात तथा स्पंज आयरन उद्योग लौह अयस्क की कमी से जूझ रहे हैं । भविष्य में उच्च ग्रेड के लौह अयस्क की भारी मांग पैदा होगी, जिसकी आपूर्ति हेतु वर्तमान में मौजूद खदानों का विस्तारीकरण तथा नई खदानों को चालू कर करना होगा।

एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड, जो कि एनएमडीसी (भारत सरकार का उपक्रम) एवं सीएमडीसी (छत्तीसगढ़ राज्य का उपक्रम) का एक संयुक्त उद्यम है, का गठन 19 जून 2008 को क्रमशः 51 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत अंशधारिता के साथ किया गया था। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न खनिजों परियोजनाओं का विकास करना है। बैलाडीला लौह अयस्क क्रमांक – 4 का विकास भी एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड के द्वारा किया जाना है।

इस परियोजना के प्रारंभ होने से यह एक राष्ट्रीय हित की परियोजना साबित होगी, तथा इस परियोजना के शुरू होने से राष्ट्र तथा राज्य के राजस्व में काफी बड़ा योगदान होगा, जिससे कि राष्ट्र तथा राज्य के लौह अयस्क खनन क्षेत्र में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना में हजारों की संख्या में कामगारों की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप व्यापक स्तर पर नवीन रोजगारों का सृजन होगा तथा अनुषंगी उद्योगों के लिए भी इस क्षेत्र में काम के अवसर पैदा होंगे। इस परियोजना के शुरू होने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के प्रभावित परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों तथा सर्वांगीण जीविका मानकों में सुधार होगा।

(ख) स्थान :– ग्राम– पोरोकमेली, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाडा।

(ग) भूमि अर्जन का आकार और विशेषता :–

क्र.	ग्राम	रकबा हेक्टेयर में	विशेषता
1.	पोरोकमेली	4.40	(निजी राजस्व भूमि – 2.55 हेक्टेयर एवं राजस्व वन क्षेत्र में प्रभावित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रक धारी की भूमि - 1.85 हेक्टेयर) इसके अतिरिक्त दो अतिक्रमणकारी भी हैं जिनकी भूमि कुल 0.75 हेक्टेयर है। बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमाँक–4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों यथा स्क्रीनिंग सयंत्र, लोडिंग सयंत्र एवं रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु प्रस्तावित।
	कुल	4.40	

(घ) अनुकल्पों पर विचार :– पूर्व में किए गए पूर्वेक्षण/अन्वेषण के अध्ययनों के अनुसार बैलाडीला लौह अयस्क निकाय क्रमांक – 4 में लगभग 109.01 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। खनन एक **"स्थान विशिष्ट"** कार्य है तथा खनन केवल वही किया जा सकता है जहां अयस्क के भंडार मौजूद हैं। खनन पश्चात आर ओ एम को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए लोडिंग संयंत्र तक पहुंचाने के लिए डाउनहिल कन्वेयर, स्क्रीनिंग प्लांट, तथा लोडिंग प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता है, यह सभी संयंत्र मूलतः एक सीधी सीमा रेखा में होने चाहिए । चुंकि खनन पट्टा क्षेत्र पूरी तरह से वन क्षेत्र में ही स्थित है, उपरोक्त वर्णित अनुषंगी गतिविधियों के स्थापना हेतु इंजीनियरिंग डिजाइन की उपयुक्तता के अनुसार क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, मौजूदा रेलवे लाइन से समीपता, ग्राउंड प्रोफाइल इत्यादि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वन क्षेत्र को शामिल करते हुए निम्नलिखित विकल्प तलाशे गए –

I. बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक – 4 के खनन पट्टे के उत्तर पश्चिम दिशा की ओरः इस दिशा में पाया गया कि बुनियादी ढांचे के लिए यह पूरी तरह से वन भूमि है और कोई रेलवे कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। इस दिशा में संयंत्र स्थापित करने से डाउनहिल कन्वेयर, लौह अयस्क के भंडार के बीच से गुजर रहा है जिससे कि अयस्क के भंडार अवरुद्ध होने की संभावना है, जो कि भारत सरकार के खनिज संरक्षण हेतु बनाये गए नियमों के विरुद्ध होगा।

II. बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक – 4 के खनन पट्टे के दक्षिण पूर्व दिशा की **ओरः** इस दिशा में पाया गया कि प्रस्तावित डाउनहिल कन्वेयर को स्थापित करने से, कन्वेयर को लौह अयस्क निकाय क्रमांक 10 को पार करना होगा जिसके कारण लौह अयस्क निकाय क्रमांक 10 के लौह अयस्क के भंडार के भी अवरुद्ध होने की संभावना है। यह पथ गैर डायवर्शन के लिए प्रस्तावित "ट्री फर्न" क्षेत्र को भी पार कर रहा है। एक और बाधा यह है कि इस विकल्प के चयन से बचेली में वर्तमान में स्थित लोडिंग प्लांट की वजह से, परियोजना क्रमांक 4 के लिए प्रस्तावित लोडिंग प्लांट के लिए उपलब्ध स्थान सीमित हो जाता है।

III. बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक – 4 के खनन पट्टे के उत्तर पूर्व दिशा की ओरः इस दिशा में अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि इस दिशा मे मौजूदा के के रेलवे लाइन के समानांतर होने की वजह से यह दिशा अनुषांगिक संयंत्रों हेतु उत्तम प्रतीत होती है। इस दिशा में डाउनहिल कन्वेयर, स्थापित करने हेतु आगे और तीन विकल्प तलाशे गए जिनकी चर्चा नीचे की गई है –

a. इस विकल्प में डाउनहिल कन्वेयर गैलरी प्रस्तावित करने से कन्वेयर गैलरी, लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 3, निक्षेप क्रमांक 6, निक्षेप क्रमांक 7, निक्षेप क्रमांक 8 एवं निक्षेप क्रमांक 9 को पार नहीं कर रहा है तथा किसी भी निक्षेप में कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहा है। यह पथ, कन्वेयर गैलरी के लिए वांछित ढाल भी दे रहा है, तथा मौजूदा पुरानी सड़क को पहुंच मार्ग के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस पथ में कन्वेयर गैलरी की लंबाई 7692 मीटर आ रही है, तथा खनन पट्टे के बाहर डायवर्शन हेतु वन क्षेत्रफल 100.077 हेक्टेयर की जरूरत है जो कि सभी विकल्पों में सबसे न्यूनतम है।

b. इस पथ का चयन करने से डाउनहिल कन्वेयर गैलरी, लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 10 के क्षेत्र को पार कर रही है, जिससे कि इस निक्षेप की अवरुद्ध होने की संभावना है। इस पथ

2

का चयन करने से नई पहुंच मार्ग का निर्माण करना पड़ेगा तथा कन्वेयर गैलरी की लंबाई 8602 मीटर आ रही है तथा खनन पट्टे के बाहर 102.391 हेक्टेयर वन क्षेत्र के डायवर्सन की आवश्यकता होगी।

c. इस पथ का चयन करने से डाउनहिल कनवेयर गैलरी, लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 7 तथा निक्षेप क्रमांक 8 को पार कर रही है जिससे कि इस निक्षेप क्रमांक 7 तथा 8 के अवरुद्ध होने की संभावना है। इस पथ का चयन करने से नयी पहुंच मार्ग का निर्माण करना पड़ेगा तथा कन्वेयर गैलरी की लंबाई 8652 मीटर आ रही है तथा खनन पट्टे के बाहर 101.241 हेक्टेयर वन क्षेत्र के डायवर्सन की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त सभी विकल्पों का अध्ययन करने के पश्चात यह पाया गया कि खनन पश्चात अनुषांगिक गतिविधियो (डाउनहिल कनवेयर गैलरी, स्क्रीनिंग प्लांट तथा लोडिंग प्लांट) हेतु न्यूनतम वन क्षेत्र तथा राजस्व क्षेत्र को शामिल करते हुए एक ही सीमा रेखा में स्थापित करने हेतु सभी विकल्पों में से विकल्प क्रमांक iii (a) ही सर्वोत्तम है।

यदि परियोजना के लिए प्रस्तावित आधारभूत संरचना अन्यत्र कहीं दूसरी जगह स्थापित की जाती है तो लोडिंग प्लांट की दिशा, मौजूदा के के रेलवे लाइन के समीप / समानांतर नहीं होगी तथा यह स्क्रीनिंग प्लांट की सीमा रेखा में नहीं आएगा, तथा इंजीनियरिंग डिजाइन के मुताबिक वांछित ढाल जो इस पथ में प्राकृतिक रूप से निहित है नहीं मिलेगी एवं अतिरिक्त वन भूमि/राजस्व भूमि की भी जरूरत पड़ेगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं खनन के एक "स्थान विशिष्ट" कार्य होने के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि परियोजना के लिए अनुकल्पी क्षेत्र (दूसरा) क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। यह भी पाया गया की अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि इस परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है और विकल्प में कोई बंजर भूमि जिसमे पड़त भूमि सम्मिलित है, परियोजना हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

(ड़) सामाजिक समाघात :– ग्राम– पोरोकमेली में भूमि अधिग्रहण किया जाना है जिस हेतु सामाजिक समाघात का अध्ययन कर आंकलन किया गया है। इस अध्ययन में मुख्यतः भूमि, जीविका और आय पर समाघात, भौतिक संसाधनों पर समाघात, निजी संपत्तियों एवं लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात के निर्धारण पर बल दिया गया है। अध्ययन में प्रमुखता से यह बात निकल कर आई की प्रभावित ग्रामीण अपने विस्थापन के स्थल को लेकर चिंतित हैं एवं इस बात पर बल दे रहे हैं कि उनका विस्थापन गाँव की सीमा के अंदर ही कहीं पर किया जाए। दूसरी बात यह भी निकल कर आई की ग्रामीण अपने लघु वनोपज संग्रह एवं रोजगार की संभावनाओं को ले कर भी चिंतित हैं । इसके साथ ही अधिकाँश ग्रामीण परियोजना को ले कर उस्ताहित भी हैं एवं उनका ये मानना है की परियोजना के आने से हर ग्राम निवासी किसी ना किसी प्रकार से लाभान्वित होगा ।

(च) कमी करने के उपाय :– सीमित विकल्पो के बावजूद इस बात का पुरा ध्यान रखा गया है कि न्यूनतम भूमि अधिग्रहण किया जाये और इस बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक – 4 क्षेत्र का रेखांकन इस नीति के अनुसार किया गया है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है अतः अपव्यय रोकने हेतु भूमि की आवश्यकता को यथासंभव परियोजना निर्माण के अनुरूप रखा गया है, प्रस्तावित खनन पश्चात निर्माण योजना क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों की मुख्य बस्तियों को अधिग्रहण से बाहर रखा गया है।

परियोजना की मूल संरचना मेंए खनन क्षेत्र के बाहर अनुषंगी गतिविधियों के लिए कुल 195.537 हेक्टेयर जमीन की मांग की आवश्यकता थी जिसमें 100.077 हेक्टेयर वन क्षेत्र तथा 95.46 हेक्टेयर

राजस्व भूमि थी। एनसीएल ने एक नई तकनीक "प्रेशर फिल्टर" का पता लगाया गया जिसमे कि बड़े क्षेत्र में टेलिंग पौंड तथा स्लरी पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एनसीएल ने इस नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वन क्षेत्र को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए न्यूनतम राजस्व भूमि का निर्धारण किया है। परिवर्तित योजना के अनुसार वर्तमान में परियोजना के खनन पट्टे के बाहर 100.077 हेक्टेयर भूमि आरक्षित वन क्षेत्र में तथा 22.4658 हेक्टेयर भूमि आरक्षित वन क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है, जो की पूर्व में निर्धारित भूमि से लगभग 73 हेक्टेयर कम है। अतः अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र प्रस्तावित परियोजना के लिए न्यूनतम क्षेत्र है। 73 हेक्टेयर राजस्व भूमि कम होने के कारण व्यापक रूप से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों की संख्या में अत्याधिक कमी आई है।

(छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण :– परियोजना की प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4091.33 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के शुरू होने से निम्नलिखित बिंदुओं पर लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं –

i. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरः

इस परियोजना को एक स्टैंडअलोन परियोजना के रूप में विकसित करने के लिए अनुमानतः 700 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान है । इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं उत्पन्न होंगी। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं उत्पन्न होंगी। संविदात्मक रोजगार सहित अप्रत्यक्ष रोजगार लगभग 1400 होगा। प्रस्तावित खनन पट्टा और छनन सह बेनिफिशिएशन संयंत्र से लगभग 10500 की कुल आबादी के लाभान्वित होने की उम्मीद है। सामग्री, परिवहन, बैंकों, स्कूलों, रेस्तरां, दुकानों के संचालन एवं छोटा व्यापार आदि के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा, जिससे इलाके में लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा लोगों को स्वयं को संलग्न करने और समुदाय को विभिन्न सेवाएं प्रदान करके उपार्जन करने का अवसर भी मिलेगा जो स्थानीय लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा।

ii. आसपास के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसरः

जैसा कि किरंदुल तथा बचेली में मौजूदा शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं वैसे ही शिक्षा संस्थानों (केंद्रीय विद्यालय आदि) का निर्माण भी इस परियोजना के कारण पोरोकमेली के आसपास के क्षेत्र में होना सुनिश्चित है।

iii. बेहतर चिकित्सा सुविधाएं:

इस परियोजना में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित एक एकीकृत परियोजना चिकित्सालय की योजना भी सम्मिलित है। समय–समय पर आसपास के क्षेत्रों में मेडिकल कैंप भी आयोजित किए जाएंगे । उचित संख्या में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित एंबुलेंस भी उपलब्ध कराई जायेंगी।

iv बेहतर आवागमन की सुविधाएं:

इस परियोजना के क्रियान्वयन तथा क्रियाकलापों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए भविष्य में टाउनशिप का भी निर्माण किया जाएगा जिसमें की रहन–सहन की सुविधाएं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, उद्यान, खेल के मैदान, व्यवसायिक स्थल, आदि विकसित किए जाएंगे। इस कारण

परियोजना के निवासियों एवं आसपास के ग्रामीणों के रायपुर, जगदलपुर, दंतेवाडा इत्यादि नगरों तक आवागमंन हेतु सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

अध्याय 2 – परियोजना के विवरण का ब्यौरा

(क) परियोजना की पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित :

एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड, जो कि एनएमडीसी (भारत सरकार का उपक्रम) एवं सीएमडीसी (छत्तीसगढ़ राज्य का उपक्रम) का एक संयुक्त उद्यम है, का गठन 19 जून 2008 को क्रमशः 51 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत अंशधारिता के साथ किया गया था। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न खनिजों परियोजनाओं का विकास करना है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का पंजीकृत कार्यालय निम्नानुसार है :–

एनएमडीसी – सीएमडीसी लिमिटेड
ग्रीन्स विले सिटी, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी
बोरियाकला, सेजबहार, रायपुर – 492015
छत्तीसगढ़.

खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक जीएसआर 697, दिनांक 30/09/2019 के अनुसार बैलाडीला लौह अयस्क खान क्रमांक – 4 का 646.596 हेक्टेयर क्षेत्रफल एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में खनिज पूर्वेक्षण / खनन हेतु आरक्षित किया गया था। पश्चात में एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के आवेदन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टे हेतु आशय पत्र जारी किया गया था।

आशय पत्र में जारी शर्तों के आधार पर खनन पट्टे के प्रस्तावित 646.596 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 570. 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं खनन पट्टे के बाहर 100.077 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु वन भूमि (बैलाडीला आरक्षित वन क्षेत्र) के व्यपवर्तन के लिए आवेदन वन विभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है।

बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमाँक–4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों यथा स्क्रीनिंग सयंत्र, लोडिंग सयंत्र एवं रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु ग्राम– पोरोकमेली, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाडा में अवस्थित कुछ भूमि एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में अधिग्रहित / अर्जित करने की आवश्यकता है।

परियोजना के प्रबंधन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भविष्य में भर्ती प्रस्तावित है । परियोजना का ऑफिस ग्राम भांसी में रहेगा, जिसमें की परियोजना से सम्बंधित मुख्य अधिकारीगण कार्यरत रहेंगे। एक खनन परियोजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु सभी आवश्यक विभाग जैसे की - माइनिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पर्सनेल, मैटेरियल्स, फाइनेंस इत्यादि स्थापित किये जायेंगे ।

(ख) परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदण्डों सहित :

परियोजना का मूलाधारए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की राष्ट्रीय इस्पात नीति है जो पूर्ण रूप से लोक हितार्थ एवं राष्ट्र हितार्थ है । परियोजना में केंद्र सरकार और राज्य शासन की अधिकारिता निहित रहेगी । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2(1)(iii) के अनुसार पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की खनन परियोजनाओं पर इस अधिनियम से सम्बन्धित उपबंध लागू होंगे । अतः बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक – 4 लोक प्रयोजन की श्रेणी में आता है।

(ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पाद, उत्पादन लक्ष्य, लागत एवं जोखिम का ब्यौरा :–

आकार –	692.6428 हेक्टेयर (खनन पट्टा क्षेत्र, 7.0 एमटीपीए की लौह अयस्क उत्पादन क्षमता के साथ , 646.596 हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। तथापि, 646.596 हेक्टेयर वन भूमि में से केवल 570.1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ही वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर शेष वन क्षेत्र को खनन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, 100.077 हेक्टेयर वन क्षेत्र और 22.4658 हेक्टेयर खनन पट्टे के बाहर राजस्व भूमि (शासकीय,निजी एवं बड़े झाड़ के जंगल) की आवश्यकता छनन सह बेनिफिशिएशन संयंत्र, भरण संयंत्र एवं रेलवे साइडिंग, खनिज भंडारण, जल जमाव / पुनःपरिसंचरण कुंडों एवं कार्यालयों आदि के विकास के लिए भी होगी।)
अवस्थान –	ग्राम–भांसी / पोरोकमेली, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाडा
क्षमता –	7 मिलियन टन प्रति वर्ष
उत्पाद –	लौह अयस्क
उत्पादन लक्ष्य –	प्रारंभिक वर्षों में 2 मिलियन टन प्रति वर्ष एवं परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात 7 मिलियन टन प्रति वर्ष
लागत –	4091.33 करोड़ रुपए
जोखिम का ब्यौरा–	परियोजना के निर्माण हेतु समुचित राशि उपलब्ध है । भारत सरकार एवं राज्य सरकार से आवश्यक स्वीकृतियाँ मिल जाने के पश्चात परियोजना के निर्माण हेतु किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं है।

(घ) अनुकल्पों की परीक्षा :–

अनुकल्पो पर विचार किया गया अन्य कोई भी विकल्प इस परियोजना हेतु उचित नहीं था।

(ड़) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएँ :

परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य भू– अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त आवश्यक अनुमति प्राप्त होने उपरांत ही किया जावेगा है । खनन परिचालन के पहले पांच वर्षों को परियोजना के निर्माण चरण के रूप में माना गया है और इस परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान क्रशिंग प्लांट, डाउनहिल कन्वेयर, स्क्रीनिंग प्लांट, तृतीयक क्रशिंग प्लांट और लोडिंग प्लांट जैसी सभी अयस्क ड्रेसिंग सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। खनन के शुरुआती पांच वर्षों में खदान की उत्पादन क्षमता 2 एमटीपीए तक सीमित होगी। खदान के संचालन के छठे वर्ष से खदान की क्षमता में लगातार वृद्धि की जाएगी और, खदान, संचालन के 9वें वर्ष में, 7 एमटीपीए की अपनी पूर्ण निर्धारित क्षमता प्राप्त कर लेगी।

वन परिक्षेत्र अधिकारी

SENIOR SCIENTIST
Krishi Vigyan Kendra Dantewada

(च) मूल डिजाइन की विशिष्टियाँ और सुविधाओं का आकार और प्रकार :

बैलाडीला निक्षेप –4 खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम बचेली/भांसी, तहसील बड़े बचेली, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य के निकट स्थित है। यह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवृत्त पहाड़ियों की बैलाडीला श्रेणी में स्थित है। निक्षेप –4 तक भांसी से कच्ची सड़क या एनएमडीसी लिमिटेड के निक्षेप–5 से पहुंचा जा सकता है। भांसी, किरंदुल से गीदम तक एस.एच. रोड से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बड़ेबचेली, ग्राम भांसी का तहसील मुख्यालय एवं निकटतम नगरीय क्षेत्र हैं। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय है।

खनन के शुरुआती पांच वर्षों में जब खदान की उत्पादन क्षमता 2 एमटीपीए तक सीमित होगी, खदान में काम करने के लिए छोटे उपकरण लगाने का प्रस्ताव है। पांच वर्षों के बाद, जब खदान की क्षमता को 7 एमटीपीए तक विस्तार किया जाएगा, तो छोटे उपकरणों को उच्च क्षमता वाले उपकरणों से बदलने का प्रस्ताव है। खदान के संचालन के छठे वर्ष से खदान की क्षमता में लगातार वृद्धि की जाएगी और, खदान, संचालन के 9वें वर्ष में, 7.0 एमटीपीए की अपनी पूर्ण निर्धारित क्षमता प्राप्त कर लेगी।

दलन किया हुआ लौह अयस्क (–150 मिमी) खनन पट्टे के बाहर स्थित छनन सह बेनिफिशिएशन संयंत्र को भेजा जाएगा और इसे निक्षेप–4 के खनन पट्टे के अंदर स्थित दलन संयंत्र से डाउनहिल कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से छनन सह बेनिफिशिएशन संयंत्र में ले जाया जाएगा।

छनन सह बेनिफिशिएशन संयंत्र, 4 पंक्ति प्रत्येक 750 टीपीएच की, 2200 टीपीएच डाउनहिल कन्वेयर प्रणाली और भरण सुविधाओं के साथ, बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप –4 के खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 122.5428 हेक्टेयर के क्षेत्र में ग्राम भांसी/ पोरोकमेली, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में होगा।

प्रस्तावित नए छनन संयंत्र में, 4 छनन पंक्तियाँ, जिनमें 750 टीपीएच (प्राथमिक छलनी) की डिजाइन क्षमता की 4 दोहरे तले की कम्पन करने वाली छलनीयां और 550 टीपीएच क्षमता की 4 द्वितीयक कम्पन करने वाली छलनीयां हैं।

छनन संयंत्र में खुला भण्डारण, एक चार– पंक्ति का छनन संयंत्र और तृतीयक दलन संयंत्र, गीली सर्किट प्रणाली, कन्वेयर प्रणाली,बिजली उपकेंद्र, बिजली भवन / नियंत्रण कक्ष, कार्यालय और भंडार भवन, रख रखाव शेड, जलपान गृह और विश्राम कक्ष, पानी के फव्वारे और शुष्क कोहरा प्रणाली हेतु पंप हाउस, अप्रकमित पानी के कुंड, पुनःपरिसंचरण पानी की टंकी और पम्पिंग प्रणाली, शुष्क अवशिष्ट अपवहन प्रणाली आदि सम्मिलित हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संदर्भ की शर्तों के आधार पर एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड ने बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप –4 परियोजना की बेनिफिशिएशन प्रक्रिया में टेलिंग की शुष्क अपवहन प्रणाली (ड्राई डिस्पोजल टेलिंग सिस्टम – हाइड्रोलिक फिल्टर–आधारित तकनीक) को सम्मिलित किया है।

(छ) सहायक अधोसंरचनात्मक की आवश्यकता :

अस्थाई आवास :

श्रम शिविर स्थल पर निर्माण कार्य चरण के दौरान मजदूरों/श्रमिकों के परिवारों को उपयुक्त आवास प्रदान किया जाना चाहिए। भारत में श्रम शिविर के नियमों और विनियमों द्वारा निर्धारित

कमरे का आकार उपयुक्त मानक के अनुसार होना चाहिए। मानकों की अनुपलब्धता के मामले में, ठेकेदार द्वारा उसी के लिए एक डिजाइन तैयार किया जायेगा।

स्वास्थ्य केन्द्र :

निर्माण शिविर के लिए अस्थायी रूप से स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधायें उपलब्ध कराकर श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम एक विजिटिंग डॉक्टर, नर्स, सामान्य ड्यूटी स्टाफ, मुफ्त दवाएँ और प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकताओं या मामूली आकस्मिक मामलों से निपटने के लिए न्यूनतम चिकित्सा सुविधाएँ होनी चाहिए, बड़ी बीमारियों और गंभीर मामलों के रोगियों को रेफर करने के लिए निकटतम उच्च स्तर के अस्पताल से जुड़ाव होना चाहिए। शिविर में माताओं और बच्चों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केन्द्र में MCW (मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर) इकाइयाँ होनी चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य केन्द्र को बच्चों के लिए आवश्यक नियमित टीकाकरण की व्यवस्था करनी चाहिए।

डे क्रेच सुविधाएँ :

यह उम्मीद की जाती है कि निर्माण स्थल पर महिला श्रमिकों में शिशुओं और छोटे बच्चों वाली माताएँ होंगी। एक डे क्रेच का प्रावधान ऐसी महिलाओं की समस्याओं का समाधान कर सकता है जो अपने बच्चों को ऐसे क्रेच में छोड़ कर दिन भर निर्माण गतिविधियों में काम कर सकती है।

शिक्षा सुविधाएं :

निर्माण श्रमिक के बच्चों को उनके काम के स्थान पर शिक्षित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम से कम इन बच्चों की प्राथमिक विद्यालयों तक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए। जहाँ तक भी संभव हो प्राथमिक शैक्षणिक सुविधाओं के साथ डे क्रेच सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

ज) कार्यबल अपेक्षाएँ (अस्थाई और स्थाई) :

इस परियोजना को एक स्टैंडअलोन परियोजना के रूप में विकसित करने के लिए अनुमानतः 700 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	अत्यधिक कुशल	282
2.	कुशल	127
3.	अर्धकुशल	123
4.	अकुशल	168
	कुल	700

इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं उत्पन्न होंगी। संविदात्मक रोजगार सहित अप्रत्यक्ष रोजगार लगभग 1400 होगा। प्रस्तावित खनन पट्टा

वन परिक्षेत्र अधिकारी

SENIOR ...

और छनन सह बेनिफिशिएशन संयंत्र से लगभग 10500 की कुल आबादी के लाभान्वित होने की उम्मीद है। सामग्री, परिवहन, बैंकों, स्कूलों, रेस्तरां, दुकानों के संचालन एवं छोटा व्यापार आदि के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा, जिससे इलाके में लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा लोगों को स्वयं को संलग्न करने और समुदाय को विभिन्न सेवाएं प्रदान करके उपार्जन करने का अवसर भी मिलेगा जो स्थानीय लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा।

(झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है, और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट :

वर्तमान में बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमॉंक–4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों यथा स्क्रीनिंग सयंत्र, लोडिंग सयंत्र एवं रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु भू अर्जन संदर्भित सामाजिक समाघात निर्धारण हो रहा है।

परियोजना हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और प्रबंधन योज़ना अलग से बनाई जा रही है। परियोजना हेतु तकनीकी और आर्थिक सुविधा रिपोर्ट भी बनी हुई है, जिसमें की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संदर्भ की शर्तों के आधार पर बेनिफिशिएशन प्रक्रिया में टेलिंग की शुष्क अपवहन प्रणाली (ड्राई डिस्पोजल टेलिंग सिस्टम – हाइड्रोलिक फिल्टर–आधारित तकनीक) को सम्मिलित किया है। इस कारण से पूर्व में प्रस्तावित टेलिंग डैम एवं स्लरी पाइप लाइन को परियोजना से हटा दिया गया है।

(ञ) लागू किए गए विधान और नीतियाँ :

- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
- छ0ग0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बचेली

TAHSILDAR
Bade Bacheli

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

अध्याय 3 – दल की संरचना दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची

(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सहित सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित

क्र	सामाजिक समाघात अध्ययन दल में सम्मिलित व्यक्ति का नाम पदनाम एवं अन्य विवरण	अध्यक्ष/ सदस्य	लिंग
1	श्री डिप्रोशन बंजारा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, दंतेवाड़ा	अध्यक्ष	पुरुष
2	श्रीमती जयमती भास्कर, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत, दंतेवाड़ा	सदस्य	महिला
3	श्रीमती सुखमती कुंजाम, सरपंच, ग्राम पंचायत धुरली	सदस्य	महिला
4	श्री आशुतोष मांडवा, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बडेबचेली	सदस्य	पुरुष
5	श्री हेमन्त चेरपा, खनिज अधिकारी, दंतेवाड़ा	सदस्य	पुरुष
6	तहसीलदार, संयोजक	सदस्य	पुरुष

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सूचना संग्रहण के लिए प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलाधार तथा साधन

सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन के प्रमुख उद्द्येश्यों में निम्न शामिल है –

- बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना के आसपास की आबादी का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करना,
- सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को काम करने या उनसे बचने के लिए शमन उपायों का सुझाव देना, तथा
- परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों पर भूमि अधिग्रहण से पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा।
- वर्तमान (सामाजिक आधार स्तर) आर्थिक स्थितियों के साथ परियोजना क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी हासिल करना
- उन स्थितियों/तरीकों का आंकलन करना जिनसे परियोजना के कार्यान्वयन से सामाजिक स्थिति बदल सकती है,
- परियोजना प्रभावित परिवारों व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर प्रस्तावित परियोजना से दोनों सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों का आंकलन करना जिसमे विस्थापन से तथा कृषि गतिविधियों के नुकसान एवं आजीविका के अन्य साधनों के कारण व्यक्तियों पर प्रभाव शामिल हो,
- परियोजना प्रभावित गावों का एक सामान्य जनसांख्यिकीय बाह्य रुपरेखा तैयार करना,
- मौजूदा संसाधनों (प्राकृतिक एवं सार्वजनिक) संपत्ति तथा उन पर संभावित प्रभाव का आंकलन करना,
- प्रभावित गावों और परियोजना के समादेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मनोदशा, धारणा, मांग और तैयारियों की सीमा का आंकलन करना

इस परियोजना में सार्वजनिक परामर्श करने के लिए निम्नलिखित पद्धति को अपनाया गया है –

- रिसोर्स पर्सन की पहचान करना।

वन परिक्षेत्र अधिकारी

Senior Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

- सूचना का प्रसार करना और ग्रामीणों से सार्वजनिक परामर्श बैठकों में भाग लेने का अनुरोध करना।
- पीएपी (परियोजना प्रभावित व्यक्ति) की राय और प्राथमिकताएं साझा करना।
- पीएपी को शामिल करना जानकारी साझा करना और परामर्श में भागीदारी।
- हितधारकों के साथ परामर्श।
- परियोजना क्षेत्र में परियोजना से प्रभावित समूह
- सरकारी एजेंसियां और विभाग जैसे स्थानीय राजस्व व वन विभाग

(ग) नमूना प्रणाली का उपयोग

गांव के प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण जन सुनवाई / एवं उससे पहले एवं बाद में अलग अलग समय अंतराल पर किया गया है।

गाँव के लोगों को पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया क्योंकि गावों में लोगो की भावनाओं, मन की स्थिति को समझने और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उनसे मिलना और चर्चा करना एक बहुत ही संवेदनशील अभ्यास है। यह ध्यान दिया गया है कि परियोजना क्षेत्र के अधिकांश परिवार खेती से जुड़े हुए है और उसके प्रति उनका लगाव गहरा है। अधिकांश विकासात्मक परियोजना में पुनर्वास के लिए अपने पुराने आवास और सामाजिक – सांस्कृतिक वातावरण से विस्थापित होने और पुरानी यादों को पीछे छोड़ने की भावना एक ऐसी घटना होती है जिसे बहुत से लोग आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते है।

अध्ययन के लिए प्राथमिक जानकारी में महत्वपूर्ण पहलू जैसे की पी.ए.पी. की पहचान, संपत्ति और सिंचाई सुविधाएं, बुनियादी ढांचों का विवरण, भूमि उपयोग फसल प्रतिरूप, प्रभावों के प्रकार, नुकसान आदि शामिल किए गए हैं। अध्ययन का दृष्टिकोण सहभागिता से जानकारी लेना, समुदाय से धारणाएँ प्राप्त करना, लोगो के विचारों को सुनने के आधार पर सूचनाओं का संकलन और गांव की स्थितियाँ को जमीनी स्तर पर समझने का प्रयास करना था।

(घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन (विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्रारूपों में सम्मिलित करें।)

प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा, खतौनी एवं ग्रामवार नक्शा, आंकड़े का राजस्व विभाग से सहारा लेकर इसे तैयार किया गया है।

(ड़) प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई (लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्रारूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिये।)

सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 22/06/2023 ग्राम पोरोकमेली के लिए ग्राम पंचायत भांसी में जनसुनवाई का आयोजन निर्धारित किया गया जिसमे ग्रामीण उपस्थित नहीं हुए एवं इसकी पूर्व सूचना ग्रामीणों द्वारा दिनांक 21/06/2023 की जनसुनवाई में दी गयी थी। ग्राम पोरोकमेली ग्राम भांसी का आश्रित ग्राम है । इसके एक दिन पूर्व में दिनांक 21/06/2023 को ग्राम भांसी में हुई जनसुनवाई में ही ग्राम भांसी एवं पोरोकमेली के ग्रामीण उपस्थित हो गए थे। सामाजिक समाघात निर्धारण दल के अध्यक्ष , सदस्यों एवं परियोजना के अधिकारी द्वारा समुचित जानकारी

ग्रामीणों को देने का प्रयास किया गया । जिसमें ग्रामीणों की तरफ से परियोजना, भूमि सम्बंधित एवं प्रभावित ग्रामीणों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गए । जिसका सामजिक समाघात निर्धारण दल के अध्यक्ष , सदस्यों एवं परियोजना के अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदान किया गया । अंत में कुछ ग्रामीणों ने यह मांग रखी की कोई भी कार्यवाही ग्रामीणों के भरोसे को जीतते हुए करनी चाहिए । ग्रामीणों को यह भी समझाया गया की प्रस्तावित परियोजना लोक प्रायोजन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कंपनी के लिए है एवं परियोजना से प्रभावित हो रहे ग्रामीणों को नियमानुसार पर्याप्त मुआवजा पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन की पात्रता है एवं इस सम्बन्ध में कोई भी योजना उनसे विचार विमर्श करके ही बनाई जायेगी । ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया की दिनांक 21.06.23 की जन सुनवाई में पोरोकमेली के भी ग्रामीण उपस्थित हुए हैं एवं वो दिनांक 22.06.23 की जन सुनवाई में उपस्थित नहीं रहेंगे ।

TAHSILDAR
Bade Bacheli

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बचेली

अध्याय 4 – भूमि अवधारणा

(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोत–नक्शों की सहायता से वर्णन करें :

संलग्न है।

(ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है।) :

प्रस्तावित परियोजना के कारण ग्राम भांसी एवं पोरोकमेली मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। जिसमे ग्राम पोरोकमेली, ग्राम पंचायत भांसी का आश्रित ग्राम है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित परियोजना से निकटतम स्थित अन्य ग्राम बड़े कमेली, दुगेली, नेरली, मोलसनार, धुरली, गामावाडा, बसनपुर, झिरिका, कमालूर इत्यादि भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से लाभान्वित होंगे।

(ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि :

परियोजना के लिए कुल 692.6428 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। खनन पट्टा क्षेत्र, 646.596 हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। तथापि, 646.596 हेक्टेयर वन भूमि में से केवल 570.1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ही वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर शेष वन क्षेत्र को खनन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, 100.077 हेक्टेयर वन क्षेत्र और 22.4658 हेक्टेयर खनन पट्टे के बाहर राजस्व भूमि (शासकीय,निजी एवं बड़े झाड़ के जंगल) की आवश्यकता भी होगी।

(घ) वर्तमान में किसी सार्वजानिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस पास है का उपयोग :

वर्तमान में इस प्रकार की कोई भूमि नहीं है।

(ड़) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित, पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आशयित उपयोग :

निरंक ।

(च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान :

प्रस्तावित परियोजना के लिए ग्राम पोरोकमेली में अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि का परिमाण 4.4 हेक्टेयर है, जिसमे राजस्व निजी भूमि रकबा 2.55 हेक्टेयर एवं व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रकधारियो की भूमि रकबा 1.85 हेक्टेयर सम्मिलित है उक्त भूमि ग्राम भांसी में रेलवे लाइन से पहाड़ की ओर पश्चिम दिशा में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त दो अतिक्रमणकारी भी हैं जिनका कब्जे का रकबा कुल 0.75 हेक्टेयर है।

(छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो तो, सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम

ग्राम पोरोकमेली में हेतु प्रस्तावित भूमि कृषि योग्य है और जिसक उपयोग सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य में होता है, जो की गांव में स्थित जल के प्राकृतिक श्रोतों एवं वर्षा ऋतु में जल के द्वारा सिंचित होता है। भूमि एक फसली की श्रेणी में आती है ।

(ज) धारित भूमि का आकर, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या

प्रस्तावित भूमि का खसरा, बी–1 संलग्न है। भू–अर्जन से ग्राम पोरोकमेली में परियोजना के लिए आवश्यक राजस्व भूमि में लगभग 10 परिवार प्रभावित होंगे। प्रस्तावित क्षेत्र में लगभग मकान 11 नग बकरी शेड 04 नग मुर्गी शेड 01 नग स्थित हैं।

<u>प्रभावित निजी राजस्व भूमि का विवरण निम्नानुसार है :</u>

क्र.	भूमिस्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे0)	प्रस्तावित प्रभावित रकबा (हे0)
1.	चम्मो बाई पति स्व. सोनाधर	2	0.150	0.150
		6/3	0.060	0.060
2.	चम्मो बाई पति स्व. सोनाधर एवं अन्य सह खातेदार	4	0.400	0.400
3.	शिवराम पिता सुखदेव एवं अन्य सह खातेदार	5	1.210	1.210
		6/1	0.060	0.060
4.	जमुना पिता स्व. शिवनाथ एवं अन्य सह खातेदार	6/2	0.080	0.080
5.	रमेश पिता भीमा एवं अन्य सह खातेदार	12/1	0.590	0.590
		योग		**2.550**

<u>राजस्व वन क्षेत्र में प्रभावित वन अधिकार पट्टों का विवरण :</u>

क्र.	खसरा नंबर / वन अधिकार मान्यता पत्रक क्र./ भूमिस्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	कुल रकबा (हे0)	प्रस्तावित प्रभावित रकबा (हे0)
1.	3 / 0217126 / प्रेम पिता सोनाधर	0.560	0.560
2.	9 / 0217128 / सोनाधर आ0 सुखदेव	0.690	0.690
3.	13/2 / 0217132 / तेलामी कुमा आ0 जग्गु	0.600	0.600
	योग		**1.850**

राजस्व वन क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों का विवरण :

क्र.	खसरा नंबर / अतिक्रमणकारी का नाम व पिता/पति का नाम	कुल कब्जे का रकबा (हे0)	प्रस्तावित प्रभावित रकबा (हे0)
1.	7 / तुलसीराम पिता सोनाधर	0.400	0.400
2.	7 / सुभाष मजुमदार आ0 सुकुमार	0.350	0.350
	योग		0.750

(झ) भूमि की कीमत और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग :

ग्राम पोरोकमेली के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि की कीमत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016, के तहत शासन के द्वारा निर्धारित की जावेगी। संबंधित को निर्धारित राशि प्रदाय की जावेगी।

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

TAHSILDAR
Bade Bacheli

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बचेली

अध्याय 5 – प्रभावित परिवारों एवं संपत्तियों (जहाँ अपेक्षित हो) का प्राक्कलन और प्रगणन

निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है :–

(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है) :

राजस्व भूमि में प्रत्यक्ष रूप से 8 परिवार प्रभावित होंगे।

(एक) किराएदार है अथवा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिमोगी है – भूमि स्वामी है।

(दो) अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है –

प्रत्यक्ष रूप से , परियोजना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में राजस्व वन क्षेत्र में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रकधारी 03 भूमिस्वामी परिवार एवं अप्रत्यक्ष रूप से वनोपज संग्रहण हेतु आरक्षित वन क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार पत्रक अंतर्गत ग्रामीण प्रभावित होंगे।

(तीन) सामान्य भूमि स्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी:

निरंक ।

(चार) समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है :

निरंक ।

(पाँच) भूमि अर्जन से पूर्व शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे है :

निरंक ।

(छः) अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित है :

प्रत्यक्ष रूप से, राजस्व भूमि में 8 भूमिस्वामी परिवार प्रभावित होंगे। एवं शासकीय भूमि पर 02 कब्जाधारी परिवार प्रभावित होगे ।

(ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है) :

परियोजना के अंतर्गत शामिल आरक्षित वन क्षेत्र में जारी हुए वन संसाधन अधिकार अंतर्गत लघु वनोपज संग्रहण कर रहे ग्रामीण प्रभावित होगे।

(ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका :

निरंक ।

वन परिक्षेत्र अधिकारी

TAHSILDAR
Bada Bachel

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

अध्याय 6 – समाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)

(क) परियोजना क्षेत्र में जनसँख्या का जन सांख्यिकी ब्यौरा

बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04 क्षेत्र की परिधि में आने वाले ग्राम पोरोकमेली को प्रभाव के आंकलन के लिए चिन्हित किया गया ।

1. कुल जनसंख्या – 200 (एक) पुरूष – 104 (दो) महिला – 96
2. बच्चों की संख्या – 74 (एक) पुरूष – 34 (दो) महिला – 40
3. जातिवार जनसंख्या (एक) अ.ज.जा. –91 (दो) अ.जा.–0 (तीन) अ.पि.व. 109 (चार) अन्य– 0
4. धर्मवार जनसंख्या (एक) हिन्दू –185 (दो) मुस्लिम –00 (तीन) सिक्ख –00

   (चार) ईसाई – 15 (पांच) बौद्ध –00 (छ:) अन्य –00

(ख) आय एवं गरीबी स्तर :

गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या – 64

ग्राम में कुल गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्ड कि संख्या 64 और सभी सदस्य कृषि एवं मजदुरी पर निर्भर है।

ग्राम पोरोकमेली में सामान्यतः कृषि एवं लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामवासियों को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त हो रहा है। परियोजना के लिए भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में निम्न आय वर्ग के लोग ही निवास कर रहे हैं ।

- बीपीएल सहित कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रभावित परिवारों को उनकी आर्थिक स्थिति से उत्थान के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, चाहे उनकी स्वामित्व की स्थिति कुछ भी हो, पात्रता के अनुसार उनकी आजीविका को बहाल करने में सहायता की जाएगी।
- आजीविका/आय के प्राथमिक स्रोत के नुकसान से प्रभावित कमजोर लोगों को अतिरिक्त सहायता का प्रावधान ।

(ग) दुर्बल समूह :

वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या – 20

निराश्रित पेंशनरों की संख्या – 13

इस परियोजना के प्रभाव के कारण परियोजना क्षेत्र तथा आस–पास के क्षेत्रों, जहा के लोगों की निर्भरता भूमि एवं वन भूमि पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से है, उन पर परियोजना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वहाँ की महिलाओं एवं कमजोर समूह के लोग जो वनों से लघु वनोपज का संग्रहण, वनीकरण से

मजदूरी, कृषि मजदूरी तथा अधिया–बटाई में कृषि कार्य करते हैं वह प्रभावित होंगे। यहाँ दुर्बल समूह के सदस्य रोज कमाना व खाना वाली स्थिति में है।

(घ) भूमि उपयोग और जीविका :

कृषि भूमि – 44 हे.

पड़त भूमि – 15.72 हे. (2–5 साल पड़ती), 0.23 हे. (चालू पड़ती)

भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए होता है। ग्रामवासियों की जीविका कृषि, लघु वनोपज एवं अन्य व्यवसायों पर आधारित है।

(ड़) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप : कृषि एवं लघु वनोपज संग्रहण आधारित है। अन्य स्थानीय रोजगार – देशी मशरूम संग्रहण, महुआ संग्रहण, तेंदुपत्ता संग्रहण, जलाऊ लकड़ी संग्रहण, हर्रा, बहेरा, चार, सल्फी रस, छिंद रस, ताड़ी रस एवं रोजगार गारंटी आदि है।

(च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है

कृषि एवं लघु वनोपज है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को अपने घरों में पशुधन है। ग्रामीण अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दंतेवाडा शहर या बचेली टाउन पर निर्भर हैं ।

(छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन :

प्रभावित क्षेत्र में आदिवासियों की आतंरिक सामाजिक व्यवस्था परिलक्षित है। ग्राम में दंडाकरण्य प्रोजेक्ट के अंतर्गत बसाए गए बंगाली परिवारों के अतिरिक्त मुख्यतः स्थानीय आदिवासी ही बसे हुए हैं जो के एक दुसरे के साथ एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं ।

(ज) प्रशासनिक संगठन :

सचिव –1
पटवारी –1
ग्रामिण कृषि विस्तार अधिकारी –1
रोजगार सहायक –1
हैण्डपंप तकनीशियन –1
फारेस्ट गार्ड –1
ग्रामिण उद्यान विस्तार अधिकारी –1
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता –1

(झ) राजनैतिक संगठन – विभिन्न अधिनियमो अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधि ।

(ञ) समुदाय–आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन – निरंक।

(ट) क्षेत्रीय सक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ – निरंक।

ठ) जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता – सामान्य।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गीदम

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

अध्याय 7 – सामाजिक समाघात

(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्य ढाँचा और दृष्टिकोण।

परियोजना से भविष्य में होने वाले समाघातों का निर्धारण करने के लिए, परियोजना के तकनीकी अधिकारियों, ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों एवं प्रभावित परिवारों से चर्चा की गयी एवं उस आधार पर भौतिक एवं सामाजिक समाघातों का निर्धारण किया गया ।

सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, विषय विशेषज्ञों तथा क्षेत्र कार्य के दौरान परामर्श किए गए हितधारकों के साथ चर्चा के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी पर आधारित है। इस प्रकार, परामर्श प्रक्रिया के दौरान सामाजिक परिवेश के व्यापक और सटीक प्रभाव मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्रासंगिक स्थानीय ज्ञान प्राप्त कर रिपोर्ट में शामिल करने का प्रयास किया गया है। यहाँ प्रासंगिक यह है कि सामाजिक–आर्थिक आधारभूत प्रतिस्वरूप ग्रामीणों के बीच जाकर संकलित की गई है।

इस परियोजना के शुरू होने से इस सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के रहन–सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, एवं रोजगार के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की असीम संभावनाएं निहित हैं। परियोजना के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के कारण क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा । परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए उचित स्थान पर ग्राम की सीमा के अंदर एक टाउनशिप का निर्माण वांछित है, परियोजना से प्रभावित परिवारजनों को उचित रोजगार की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी । ग्रामीणों से सतत चर्चा करने के लिए एवं उनकी समस्याओं के निवारण के लिए एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड को अपने कुछ अधिकारियों के नियत करना पड़ेगा , जिससे की भविष्य में किसी वाद विवाद की स्थिति पैदा होने से पहले ही उसका निवारण कर लिया जाए । आसपास के सभी ग्रामीणों का एक स्किल मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जिससे की भविष्य में उन्हें परियोजना में प्रत्यक्ष और अप्रयत्क्ष रूप से रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जा सकें । ग्रामीणों के कौशल विकास के लिए भी एक योजना वांछित रहेगी । लघु वनोपज पर निर्भर ग्रामीणों के भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान को बचाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से इस प्रकार से मुआवजा निर्धारण करना पड़ेगा जिससे की उनके अन्दर किसी प्रकार का असंतोष ना पैदा हो ।

(ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण, जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक प्रकार के समाघात, पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेददर्शक समाघात और जहाँ लागू हो–आकलित समाघात।

यह खंड प्रस्तावित परियोजना के निर्माण चरण के दौरान एवं परियोजना के संचालन के समय उत्पन्न होने वाले सामाजिक प्रभावों से सम्बंधित है, इस सम्बन्ध में निम्न अनुमानित प्रभावों को शामिल किया है–

- सकारात्मक प्रभाव, अर्थात रोजगार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव और स्थानीय उद्यमियों के लिए बढ़ा हुआ बाजार, तथा
- नकारात्मक प्रभाव, अर्थात भौतिक और आर्थिक विस्थापन, नवागंतुकों और मौजूदा आबादी के बीच संघर्ष या प्रतिस्पर्धा, स्थानीय सेवाओं और संसाधनों पर दबाव में वृद्धि, अनौपचारिक

Banjara

बस्तियों की वृद्धि, सुरक्षा प्रभाव, जीवन की गुणवत्ता में कमी, भूमि और पौधों को नुकसान, जंगल की हानि, कृषि श्रम की हानि।

इन प्रभावों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गयी है और नकारात्मक प्रभावों को कम करने एवं सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए उपयुक्त शमन उपायों की सिफारिश की गई है।

<u>सकारात्मक प्रभाव</u>

निर्माण के दौरान रोजगार सृजन

प्रस्तुत आधारभूत सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल इंगित करती है कि स्थानीय और क्षेत्रीय अध्ययन क्षेत्रों में कुछ समुदाय गरीवी और अल्प विकास की स्थिति में है उल्लेखनीय सामाजिक–आर्थिक आंकड़ों में निम्नलिखित शामिल है।

- कृषि लघु वनोपज संग्रहण वनीकरण के कार्य के विकल्प के रूप में निर्माण के दौरान एवं खनन कार्य में रोजगार के सृजन को देखा जा सकता है ।
- परियोजना अध्ययन क्षेत्र में आर्थिक रूप से सक्रिय आवादी का अधिकाँश हिस्सा वेरोजगार है तथा परियोजना क्षेत्र में अधिकांश परिवारों की आय रुपए 10000 या उससे कम है। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि परियोजना प्रभावित क्षेत्र और परिधीय क्षेत्र महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहें है। उम्मीद और विश्वास कि परियोजना स्थानीय रोजगार के अवसर लाएगी । हालाँकि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ऐसे अवसरों की अपेक्षा और मांग लगभग हमेशा उपलब्ध अवसरों से अधिक होती है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव

प्रस्तावित परियोजना का व्यय पूर्वानुमान और भौगोलिक स्थिति जो व्यय की गई मदों से लाभान्वित होगी तथा कुछ उचित धारणाएं निम्नानुसार बनाई जा सकती है:

- कम से कम खान कर्मचारियों के वेतन का कुछ हिस्सा तथा वहां जो लोग बाहर से व्यवसाय तथा अन्य रोजगार की तलाश में बाहर से आकर परियोजना क्षेत्र में बसेंगे उन समुदायों के बीच भी राजस्व का अन्तः आदान–प्रदान होगा। जैसे कि बाजार से सामान की खरीदी, सेवा कार्यों में खर्च आदि से यहाँ आस–पास के समुदायों के भीतर राजस्व का पर्याप्त प्रवाह पैदा करने कि उम्मीद है, इस प्रकार स्थानीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- इसी तरह, स्थानीय और परिधीय क्षेत्रों में स्थित कुछ व्यक्तियों और व्यवसायों को पहली बार अनुमानित वार्षिक लागत से अधिक लाभ होगा। यह स्थिति परियोजना के अंत तक रहने की उम्मीद की जा सकती है। यदि स्थानीय और परिधीय क्षेत्रों में उपयुक्त सेवा प्रदाता उपलब्ध है तो इन क्षेत्रों की ऐसी सेवाओं से लाभ होगा। इस तरह के खरीद खर्च परियोजना के आर्थिक प्रभाव को और बढ़ाएंगे। निर्माण कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य से जुड़े उद्योग, प्रतिष्ठान स्थापित हो सकते है जिससे राजस्व स्थानीय अर्थव्यवस्था पर निरंतर लाभकारी प्रभाव उत्पन्न करता रहेगा।
- अंततः ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगाए सामुदायिक विकास और मानव संसाधन विकास स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रगति का प्रतिनिधित्व कर सकते है जिससे आर्थिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी वनेगी।

वन परिक्षेत्र अधिकारी

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

- उपरोक्त के आलावा कुछ निर्माण कार्यबल को स्थानीय ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर मौजूदा बुनियादी ढांचे में समायोजित किया जा सकता है यह भी स्थानीय अर्थव्यवस्था की दिशा में सकारात्मक योगदान होगा।

स्थानीय उद्यमियों के लिए बढ़ा हुआ बाजार

प्रस्तावित परियोजना के कारण अध्ययन क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों का प्रवास होगा यद्यपि जनसँख्या प्रवाह के सामाजिक परिणाम अधिकतर नकारात्मक होते है, किन्तु स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसके सकारात्मक प्रभाव होते है। स्थानीय स्तर पर बाजार बढ़ेगा एवं बाहर से भी व्यापारी आकर स्थानीय स्तर पर लोगों के साथ अनुबंध करके स्थापित होने की कोशिश करेंगे, स्थानीय लोगों को भी नए व्यवसायों का अनुभव मिलेगा और वे लोग भी अपने आप को व्यवसायिक तौर पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

इसके आलावा प्रवासी स्थानीय अर्थव्यवस्था में संपत्ति ला सकते है तथा कुशल लोग जो पहले कहीं और काम की तलाश में पलायन कर चुकें है, लेकिन जिनके परिवार स्थानीय क्षेत्र में रहते है, वे घर पर रोजगार की उम्मीद में वापस आ सकते है।

इस प्रभाव का महत्त्व प्रवासियों की संख्या और कौशल के साथ–साथ उनकी पारिवारिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि प्रस्तावित परियोजना के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में कुशल प्रवासियों का प्रवास होता है जिनके परिवार पहले से ही निवासी है, तो इस प्रभाव का महत्त्व बढ़ जायेगा।

<u>नकारात्मक प्रभाव</u>

भौतिक और आर्थिक विस्थापन

प्रस्तावित परियोजना के कारण क्षेत्र का भौतिक व आर्थिक विस्थापन होगा। लोगों को परियोजना के बुनियादी ढांचे के लिए रास्ता बनाने के लिए लोगों को अन्यत्र विस्थापित किया जावेगा। इसके आलावा लोगों का आर्थिक विस्थापन भी होगा जैसा कि परियोजना क्षेत्र में लोगों का आर्थिक आधार कृषि व वन है।

नवागंतुकों और मौजूदा आबादी के बीच संघर्ष/प्रतिस्पर्धा

जैसे ही प्रस्तावित परियोजना के बारे में खबर फैलती है, रोजगार के संभावित अवसरों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है। नतीजतन, स्थानीय अध्ययन क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों की आमद भारी मात्रा में हो सकती है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जनसँख्या प्रवाह से जुड़े प्रभावों की प्रकृति और परिमाण दोनों ही संख्या, कौशल, व्यव्हार, रोजगार की उम्मीदों और प्रवासियों की पारिवारिक स्थिति पर निर्भर करेंगे। यह स्थानीय अध्ययन क्षेत्र में लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक होने की सम्भावना पर भी निर्भर करेगा।

दल परियोजना अधिकारी

TAHSILDAR
Bacheli

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

निर्माण श्रमिकों और नौकरी चाहने वालों की आमद के कई नकारात्मक सामाजिक परिणाम हो सकते है। इनमे से एक स्थानीय लोगों और नवागंतुकों के बीच संघर्ष या प्रतिस्पर्धा है, जनसँख्या प्रवाह से जुड़े अन्य प्रभावों में स्थानीय बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर बढ़ते दबाव और अनौपचारिक बस्तियों की वृद्धि शामिल है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, परियोजना के लिए कार्यबल का अनुपात स्थानीय क्षेत्र से होगा, जबकि शेष परिधीय गावों से प्राप्त किया जायेगा। यह संभव है कि नए लोगों और स्थानीय निवासियों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के संघर्ष का एक संभावित कारण स्थानीय लोगों के बीच यह धारणा होगी कि बाहरी लोग ऐसी नौकरी कर रहे है जो स्थानीय समुदाय के बेरोजगार सदस्यों के पास जा सकती थी। बेरोजगार नौकरी चाहने वालों की आमद भी संघर्ष की सम्भावना को बढ़ा सकती है।

इस अध्ययन के प्रयोजन के दौरान लिए साक्षात्कार में हितधारकों ने संकेत दिया कि स्थानीय आबादी प्रवासी श्रमिकों के प्रति नकारात्मक (और यहाँ तक कि हिंसक रूप से) प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, खासकर यदि वे कार्यकर्ता उन पदों को भरते है जो स्थानीय परिधीय क्षेत्र के भीतर से भरे जा सकते थे।

स्थानीय सेवाओं संसाधनों पर बढ़ा दबाव

प्रस्तावित परियोजना के कारण लोग नौकरी व विभिन्न व्यवसायों के लिए परियोजना क्षेत्र में प्रवाह करेंगे। इसके आलावा कई कार्यबल स्थानीय रूप से लिए जावेंगे जिसके कारण अप्रत्याशित भीड़ बढ़ने की सम्भावना है। इन प्रवाह के स्रोत के कारण, स्थानीय स्थानीय सेवाओं और संसाधनों, विशेष रूप से आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं, पुलिस बल, शैक्षणिक सुविधाओं, खेल सुविधाओं और जल आपूर्ति पर धीरे–धीरे अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।

बढ़ी हुई सामाजिक विकृति

नौकरी चाहने वालों की आमद से विभिन्न सामाजिक विकृति में वृद्धि हो सकती है विशेष रूप से चोरी, अपराध, लड़ाई झगड़े, गुटबाजी एवं दुराचार आदि में परिणामी वृद्धि हो सकती है।

अनौपचारिक बस्तियों का विकास

प्रस्तावित परियोजना के कारण लोग परिवार सहित परियोजना क्षेत्र में प्रवास करेंगे जिससे क्षेत्र में अनौपचारिक आवासों का विकास हो सकता है। यह स्थिति ग्राम पंचायत द्वारा आवास पूर्ति में असमर्थता के कारण हो सकता है। यह अनौपचातिक बस्तिया पानी, स्वच्छता व बिजली जैसी सुविधाओं की उन पहुँच न होने के कारण कई तरह की असामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का क्षेत्र में जन्म दे सकती हैं।

सुरक्षा प्रभाव

प्रस्तावित परियोजना का हिस्सा बनने वाली निम्नलिखित में से किसी भी गतिविधि से सुरक्षा प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं–

- निर्माण स्थल (निर्माण चरण);
- भण्डारण (निर्माण और परिचालन चरण);

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

वन परिक्षेत्र अधिकारी

- रोड के माध्यम से लौह अयस्क का परिवहन

निर्माण स्थल और भण्डारण ये स्थल श्रमिकों के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

रोड के माध्यम से लौह अयस्क का परिवहन, जिसका उपयोग निजी मोटर चालकों द्वारा भी किया जाता है, यातायात की मात्रा में वृद्धि और सडकों पर एचएमवी की उपस्थिति के कारण मोटर चालकों की सुरक्षा के लिए एक जोखिम पैदा करता है। इसके अलावा एचएमवी के चलने के परिणामस्वरूप सडकों की क्रमिक गिरावट भी मोटर चालकों के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा करती है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए की कुछ मामलों में अनुभव किये गए सामाजिक प्रभाव जरुरी नहीं कि किसी की सुरक्षा के लिए जोखिम की वास्तविक वृद्धि हो।

जीवन की गुणवत्ता में कमी

प्रस्तावित योजना के निर्माण और परिचालन चरण, आसपास के भौतिक वातावरण में निम्नलिखित विभिन्न तरीको से प्रभाव डाल सकते हैं –

- **दृश्य प्रभाव :** परियोजन के बुनियादी ढ़ांचे और भण्डार दृश्य वातावरण की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते है;
- **ध्वनिक प्रभाव :** बढे हुए यातायात और अन्य गतिविधियों से क्षेत्र में शोर बढेगा;
- **वायु गुणवत्ता और धुल :** लौह अयस्क के परिवहन से उत्पन्न अत्यधिक धुल से वायु की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है; तथा
- **पानी की मात्रा और गुणवत्ता :** परियोजना स्थल के आसपास के क्षेत्रो में उपलब्ध पानी की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हैं।

(ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य संस्कृति और सामाजिक सम्बन्ध तथा लिंग आधारित समाघात।

बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमॉक–4 में ली जाने वाली भूमि कृषि भूमि है। अधिग्रहण करने पर यथोचित मुआवजा एवं रोजगार दिये जाने के कारण जीविकोपार्जन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपितु जीविका एवं आय के साधन में विविधता एवं बढोत्तरी आएगी। लोक सेवाओ तक ग्रामीणों की पहुच में वृद्धि होगी, तथा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाए की ग्राम स्तर पर उपलब्धता बढेगी। परियोजना से ग्राम के लिंगानुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बचेली

TAHSILDAR
Bade Bacheli

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

अध्याय 8 – लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें

(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, शमन के उपायों की व्यवहार्यता और वहां तक, जहाँ शमन के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या के समाधान, के बारे में अंतिम निष्कर्ष।

छ0ग0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार के तहत प्रश्नाधीन अर्जन शासन के माध्यम से एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड, जो कि एनएमडीसी (भारत सरकार का उपक्रम) एवं सीएमडीसी (छत्तीसगढ़ राज्य का उपक्रम) का एक संयुक्त उद्यम है, को दिया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से लोकहित बाबत है। बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमाँक–4 हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि ही लिया जाना है। प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है की परियोजना के कारण आसपास के क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होगा एवं आधारभूत संरचनाओं में आमूलचूल परिवर्तन होना सुनिश्चित है ।

इस परियोजना में भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, के तहत विस्थापन किया जायेगा । परियोजनाएं जहां स्थापित होती है वहा आस पास के जीवन पर प्रभाव पड़ता है इस योजना से भी लोगों के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे जो विकासशील होगा । यदि हम लाभ की बात करें तो इससे भू–स्वामियों को उचित दर पर भूमि का मुआवजा एवं रोजगार दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त प्रभावित व्यक्ति दूसरे आय अर्जन व्यवसाय से जुड़कर आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक – 4 योजना से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, के तहत प्रभावित परिवार को लाभ मिलेगा जिससे की उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा यह परियोजना एक राष्ट्रीय हित की परियोजना है। इस परियोजना के शुरू होने से राष्ट्र तथा राज्य के राजस्व में काफी बड़ा योगदान के अतिरिक्त परियोजना के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के कारण क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा ।

(ख) उपरोक्त विश्लेषण नियम में वर्णित साम्या सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नहीं, विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जायेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना में शमन उपायों को शामिल किया जाए और जहाँ प्रासंगिक है, जारी की जाने वाली अनुबंध शर्तों में ठेकेदारों और उनके उपठेकेदार भी इन शमन उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी और आंकलन करने और जहाँ आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सम्मिलित किये जाने चाहिए।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बचेली

TAHSILDAR
Bade Bacheli

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

परियोजना से लोगों के जीवन और स्थिति में वृद्धि होगी, लेकिन नकारात्मक प्रभावों से सावधानीपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से निपटा जाना चाहिए। परियोजना और सम्बंधित गतिविधियों के कारण सामाजिक वातावरण प्रभावित होगा। इस परियोजना क्षेत्र में वन भूमि, राजस्व भूमि, कृषि भूमि, निर्मित क्षेत्र आदि है। निश्चित रूप से परियोजना क्षेत्र के लोगों की उनकी दिन–प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने में मुश्किल आयेगी, कृषि उत्पादन में नुकसान, कृषि से सम्बंधित व्यवसाय की हानि, जंगल की हानि, ऊपरी मिटटी और नमी की हानि, पारंपरिक रोजगार की हानि, विस्थापन परिवर्तन, पानीए वायु और मिट्टी का प्रदूषण, शोर और कंपन, व्यापार विस्थापन, पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास की समस्या और बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। प्रमुख बंदोबस्त क्षेत्र के परिचालन चरण में भविष्य की किसी भी समस्या से बचने के लिए इन सभी प्रभावों पर उचित सोच–विचार करने की आवश्यकता होगी। सभी परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए, निम्न अनुशंसा की जाती है कि–

- बेरोजगारी, क्षेत्र में व्याप्त प्रमुख मुद्दों में से एक है। स्थिति से निपटने के लिए आईटीआई के रूप में एक प्रशिक्षण संस्थान निकट में है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी हो सकती है।
- परियोजना पर लोगों को नियुक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली भर्ती नीति निष्पक्ष, पारदर्शी और स्थानीय आबादी को स्पष्ट रूप से सम्प्रेषित होनी चाहिए।
- स्थानीय सामुदायिक संरचनाएँ स्थानीय श्रम को वरीयता देने के प्रस्तावक के इरादे को संप्रेषित करने और स्थानीय श्रम पूल की पहचान करने में सहायता करने में सहायता के लिए शामिल होना चाहिए।
- एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय लोगों को तरजीही रोजगार देने का इरादा स्पष्ट रूप से सम्प्रेषित हो, ताकि अन्य क्षेत्रों से नौकरी चाहने वालों की आमद को हतोत्साहित किया जा सके और स्थानीय निवासियों के साथ सकारात्मक संबंधों की नींव रखी जा सके।
- यदि स्थानीय क्षेत्र के लेबर डेस्क पर ऐसा रजिस्टर मौजूद नहीं है, तो प्रस्तावक को स्थानीय एसएमएमई और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकारों को एक रजिस्टर में विकसित करने पर विचार करना चाहिए। जहां उपयुक्त एसएमएमई मौजूद नही है, वहां प्रस्तावक को स्थानीय क्षेत्र में प्रशिक्षण/कौशल विकास को संरेखित करने की सम्भावना की जाँच करनी चाहिए।
- उपठेकेदारों की नियुक्ति करते समय स्थानीय क्षेत्र में स्थित उपयुक्त उपसंविदाकारों को पहले वरीयता देनी चाहिए और उसके बाद ही बाहर के ठेकेदारों को।
- महिला आबादी में साक्षरता दर कम है और इनके पास कोई प्रशिक्षण भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा समुदाय की महिलाएं लघुवन उपज एकत्र करने में लगी हुई है जो उनके लिए आर्थिक स्रोत का एक महत्वपूर्ण अंग है। वनों की हानि से उनकी व्यस्तता तथा आय प्रभावित होगी, इसलिए उनकी रूचि, क्षमता, एवं स्थानीय संसाधनों की पहचान करते हुए उन्नत कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- बाय–पास सड़कें लौह अयस्क ढोने वाले भारी वाहन की आवाजाही के लिएए लौह अयस्क की धूल, वाहनों और ध्वनि प्रदूषण, भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक है।
- जल–भूवैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि लोग जल स्तर के घटने और उसके प्रदूषण के बारे में चिंतित है।

TAHSILDAR
Bade Bacheli

वन परिक्षेत्र अधिकारी

- प्रस्तावक या उसके उपठेकेदारों द्वारा प्रदान किया गया कोई भी प्रशिक्षण सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यह प्रशिक्षुओं के भविष्य के कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाने के सन्दर्भ में प्रशिक्षण से प्राप्त लाभों को बढ़ायेगा।
- परियोजना प्रस्तावक प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त नोटिस प्रदान करेगी, ताकि वे सिविल कार्य शुरू होने से पहले बिना किसी कठिनाई के अपनी संपत्ति को स्थानांतरित करने में सक्षम हों।
- आरआरएपी क्रियान्वयन में निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैः
    - I. आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती,
    - II. पीएपी का सत्यापन प्रभावित संपत्ति और संपत्ति की लिस्टिंग और माप और उनका अनुमान,
    - III. आर एंड आर सहायता जारी करना,
    - IV. पुनर्वास के लिए पात्र पीएपी की सूची तैयार करना यदि कोई हो और
    - V. पीएपी का पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास।
- विस्थापित होने वाले पीएपी को व्यक्तिगत परामर्श, समूह परामर्श और पंचायत को शामिल करते हुए ग्राम स्तरीय परामर्श आयोजित करके धीरे–धीरे पुनर्वास के लिए तैयार किया जाएगा। पीएपी के साथ परामर्श में पात्रता की व्याख्या करना भी शामिल होगा, सहायता की गणना करने की पद्धति, और शिकायत निवारण समिति से संपर्क करने के लिए तंत्र आदि। प्रभावित परिवारों के परामर्श से एक पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास कार्य योजना (आरआरएपी) विकसित की जानी चाहिए।
- समुदाय को दी गई प्रतिबद्धताओं और उसके क्रियान्वयन के बीच कोई अंतर नहीं होनी चाहिए। नियोजन उचित आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए और मतभेदों से बचने के लिए क्रियान्वयन के दौरान समय–समय पर परामर्श किया जाना चाहिए।
- उपठेकेदारों के लोगों को प्रदर्शित करने वाली उचित निर्माण वर्दी पहनकर निर्माण श्रमिकों को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए। निर्माण श्रमिकों को पहचान टैग के साथ भी जारी किया जा सकता है।
- एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड को घूमने–फिरने को नियंत्रित करने के लिए परियोजना स्थल तक पहुँच के लिए स्पष्ट नियम और विनियम स्थापित करने चाहिए। आवारा लोगों के नियंत्रण और/या हटाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड को स्थानीय पुलिस सेवा से परामर्श करना चाहिए।
- अनौपचारिक बस्तियों का विकास स्थानीय क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए।
- वर्ष के विभिन्न मौसमों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा परिवेशी वायु, मौसम विज्ञान, पानी की गुणवत्ता, परिवेश ध्वनि, मिट्टी की गुणवत्ता आदि की नियमित पर्यावरणीय निगरानी किया जाना चाहिए। साल के चार मौसमों में भूजल स्तर और गुणवत्ता की भी निगरानी किया जाना चाहिए।
- एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड क्षेत्र के विकास के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना के उपायों और आसपास के क्षेत्र में कल्याणकारी उपायों को लागू करके परिधीय विकास गतिविधियों का कार्य करेगी।

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

TAHSILDAR
Bade Bacheli

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बचेली

(ग) निर्देश और प्ररूप

समस्त पहलुओं के गहन मूल्यांकन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते है –

- परियोजना के आगमन से शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं आर्थिक पहलुओं का आशा अनुकूल विकास होगा,
- पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन के साथ अन्य छोटे–मोटे उद्योग/व्यवसाय आदि के विकसित होने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी,
- जिला मुख्यालय से सुदूर होने के कारण वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधायें सिमित है। परियोजना स्थापित होने से सर्व सुविधायुक्त स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से सफल समाधान अपेक्षित है ।

उच्च स्तर की पुनर्वास कॉलोनी, पार्क, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल सुविधा, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, खेल के मैदान, शॉपिंग काम्प्लेक्स आदि से लोगों की जीवन शैली एवं सामाजिक जीवन में अनुकूलतम परिवर्तन आएगा।

वृहद रूप में यदि इस परियोजना को देखा जाये तो यहाँ से निकलने वाला लोहा देश के विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल किया जावेगा, जिससे देश का औद्योगिक विकास होगा। निश्चित तौर पर यह परियोजना लोक प्रयोजन को पूरा करेगी।

फलतः परियोजना की स्थापना से सकारात्मक पहलुओं का प्रभाव नकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा प्रभावी एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। अध्ययन के समस्त पहलुओं पर विचार कर उनके क्रियान्वयन एवं नियंत्रण हेतु सार्थक पहल की अनुशंसा की जाती है।

सदस्य
श्रीमती जयमति भास्कर
जनपद सदस्य, जनपद पंचायत, दन्तेवाड़ा

अध्यक्ष
श्री डिप्रोशन बंजारा
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, के.वी.के.
SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada
दन्तेवाड़ा

सदस्य
सुखमति कुजांम
सरपंच, ग्राम पंचायत, धुरली

सदस्य
श्री आशुतोष मांडवा
वन परिक्षेत्र अधिकारी, बडेबचेली

सदस्य
श्री हेमंत चेरपा
खनिज अधिकारी
दन्तेवाडा

सदस्य
तहसीलदार
बडेबचेली (संयोजक)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941
No. 572] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सा. का. नि. 697(अ).—केंद्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 17क की उप-धारा (1क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम - छत्तीसगढ खनिज विकास निगम लिमिटेड (एन. सी. एल.), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकार का एक पब्लिक सेक्टर का उपक्रम) और मैसर्स छत्तीसगढ खनिज विकास निगम लिमिटेड (छत्तीसगढ़ सरकार का एक पब्लिक सेक्टर का उपक्रम) का एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से खनिज लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन करने के लिए बैलाडिला आरक्षित वन निक्षेप सं. 4, जिला दक्षिणी वस्तर, छत्तीसगढ में ऐसे आरक्षित क्षेत्र के नीचे यथानिर्दिष्ट सीमा (अक्षांश और देशांतर द्वारा सीमांकित) के भीतर पड़ने वाले 646.596 हेक्टेयर के क्षेत्र को पांच वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित करती है :-

खनिज का नाम	स्थिति	क्षेत्र	पिलर	अक्षांश	देशांतर
लौह अयस्क	बैलाडिला आरक्षित वन, निक्षेप सं. 4 जिला दक्षिण बस्तर, छत्तीसगढ़	646.596 हैक्टेयर	A	81°12'10.40"	18°43'45.70"
			B	81°13'10.80"	18°43'40.90"
			C	81°13'08.80"	18°43'05.90"
			D	81°13'05.50"	18°43'05.80"
			E	81°12'57.30"	18°41'27.70"
			F	81°12'28.80"	18°41'52.90"
			G	81°11'57.70"	18°41'58.70"

[फा. सं. 4/2/2018-एम VI]

निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

G.S.R. 697(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 17A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government, after consultation with the State Government of Chhattisgarh hereby reserves an area of 646.596 hectares in Bailadila reserve forest, Deposit No. 4, District South Bastar, Chhattisgarh for mineral iron ore for undertaking prospecting or mining operations through M/s National Mineral Development Corporation – Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited (NCL), a joint venture of National Mineral Development Corporation Limited (a Central Government Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Steel), and Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited (a Government of Chhattisgarh Public Sector Undertaking), for a period of five years lying within the boundary (demarcated by latitude and longitude) of such reserve area as specified below:-

Name of Mineral	Location	Area	Pillar	Longitude	Latitude
Iron ore	Bailadila reserve forest, deposit No. 4, District South Bastar, Chhattisgarh	646.596 hects	A	81°12'10.40"	18°43'45.70"
			B	81°13'10.80"	18°43'40.90"
			C	81°13'08.80"	18°43'05.90"
			D	81°13'05.50"	18°43'05.80"
			E	81°12'57.30"	18°41'27.70"
			F	81°12'28.80"	18°41'52.90"
			G	81°11'57.70"	18°41'58.70"

[F. No. 4/2/2018-M.VI]

NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022021-225248
CG-DL-E-18022021-225248

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 2021/माघ 29, 1942
No. 79]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 2021/MAGHA 29, 1942

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 119(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 17क की उप-धारा (1क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार से परामर्श से भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 697(अ) तारीख 30 सितंबर, 2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में "खनिज का नाम" शब्दों के साथ आरंभ होकर और "18⁰ 41'58.70" उत्तर आंकड़े के साथ अंत होने वाले के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

खनिज का नाम	स्थिति	क्षेत्र	पिलर	अक्षांश	देशांतर
लौह अयस्क	बैलाडिला आरक्षित वन, निक्षेप सं. 4 जिला दक्षिण बस्तर, छत्तीसगढ़	646.596 हेक्टेयर	ए	81°12'03.25650"पूर्व	18°43'38.32617" उत्तर
			बी	81°13'04.84428"पूर्व	18°43'38.52758" उत्तर

			सी	81°13'06.24991"पूर्व	18°43'12.30677" उत्तर
			डी	81°13'03.60782"पूर्व	18°43'12.27943" उत्तर
			ई	81°13'07.02661"पूर्व	18°41'26.17920" उत्तर
			एफ	81°12'31.89279"पूर्व	18°41'48.22195" उत्तर
			जी	81°12'02.90192"पूर्व	18°41'50.38796" उत्तर

[फा. सं. 4/2/2018-एम VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2021

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 17A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) the Central Government in consultation with the State Government of Chhattisgarh, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Mines, dated 30th September, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number 697(E), dated the 30th September, 2019, namely:

2. In the said notification, beginning with the words "Name of Mineral" and ending with the figure "18°41'58.70" N", the following shall be substituted:

Name of Mineral	Location	Area	Pillar	Longitude	Latitude
Iron ore	Bailadila reserve forest, deposit No. 4, District South Bastar, Chhattisgarh	646.596 hects.	A	81°12'03.25650"E	18°43'38.32617"N
			B	81°13'04.84428"E	18°13'38.52758"N
			C	81°13'06.24991"E	18°43'12.30677"N
			D	81°13'03.60782"E	18°43'12.27943"N
			E	81°13'07.02661"E	18°41'26.17920"N
			F	81°12'31.89279"E	18°41'48.22195"N
			G	81°12'02.90192"E	18°41'50.38796'N

[F. No. 04/02/2018-M.VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

वर्ष 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230423610500003

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रुपये पैसे मे

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाड़ा

खाता क्रमांक	खाते के ब्यौरे भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	चालू और बकाया माँग भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	वसूलियाँ भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	खजाने मे जमा करने के ब्यौरे रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी भू-राजस्व	उपकर	योग	वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
114	(1)नाम - शिवराम सुखदेव वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि	6/1	0.0600		0.5700																	नामांतरण क्रमांक 6105101/250717/00261 आदेश क्रमांक 5/43.आ पारित दिनांक21/04/2015 ,ग्रामपंचायत भांसी

वीरेन्द्र पण्डावी
पटवारी
प.ह.नं. [illegible]

टीप:- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में तथा [illegible] फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2 में अंकित है

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-1 किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रुपये पैसो मे

Document Id -20230423610500003

ग्राम : पोरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(2)नाम - श्यामबती पति शिवराम वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

01/ग्रामी

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230423610500003

भूमि का ब्यौरा हेक्टयर मे एव करो का ब्यौरा रुपये पैसो मे

जिला : दन्तेवाडा

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बडेबचेली

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(3)नाम - जयराम पिता सुखदेव वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

पटवारी
प.ह.नं. 01/भांसी

टीप:- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में तथा कुल ऋण का विवरण फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2 में अंकित है

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रूपये पैसो मे

Document Id -20230423610500003

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियॉं			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भूगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(4)नाम - मेहतरीन पति जयराम वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230423610500003

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रूपये पैसो मे

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाडा

खाते के ब्यौरे					चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		55/1	0.1400																			नामांतरण क्रमांक 6105101/250717/00261 आदेश क्रमांक 5/43,आ पारित दिनांक21/04/2015 ,ग्रामपंचायत भांसी
कुल		2	0.2000		0.5700	0	0.5700															

वीणा मण्डावी
पटवारी
प.ह.नं. 01 भांसी

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.04.23 16:56:20 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

कृषि वर्ष: 2022-2023

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : पोरोकमेली हल्का : 00001 रा नि : बड़े बचेली तहसील : बड़ेबचेली जिला : दन्तेवाडा 20230423610500004

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसो में है ।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरूषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6/1	0.0600	(1) शिवराम	सुखदेव	कलार	सा.देह	कृषि ₹ 0.57	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		
		(2) श्यामबती	पति शिवराम	कलार	सा.देह				
		(3) जयराम	पिता सुखदेव	कलार	सा.देह				
		(4) मेहतरीन	पति जयराम		सा.देह				
55/1	0.1400	खसरा नंबर - 6/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 6/1-के अनुसार	खसरा नंबर - 6/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 6/1 के अनुसार	कृषि ₹ 0.00	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		

वीणा मण्डावी
पटवारी
प.ह.नं. 01/भारसी

टीप:- फसले विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा | पृष्ठ क्रमांक: 1 / 1

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.04.23 16:56:52 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

छ. ग. शासन राजस्व विभाग

दिनांक : 23/04/2023 06:32:25 PM

खसरा नक्शा

ग्राम - पोरोकमेली, प.ह.न. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़ेबचेली , जिला - दन्तेवाडा

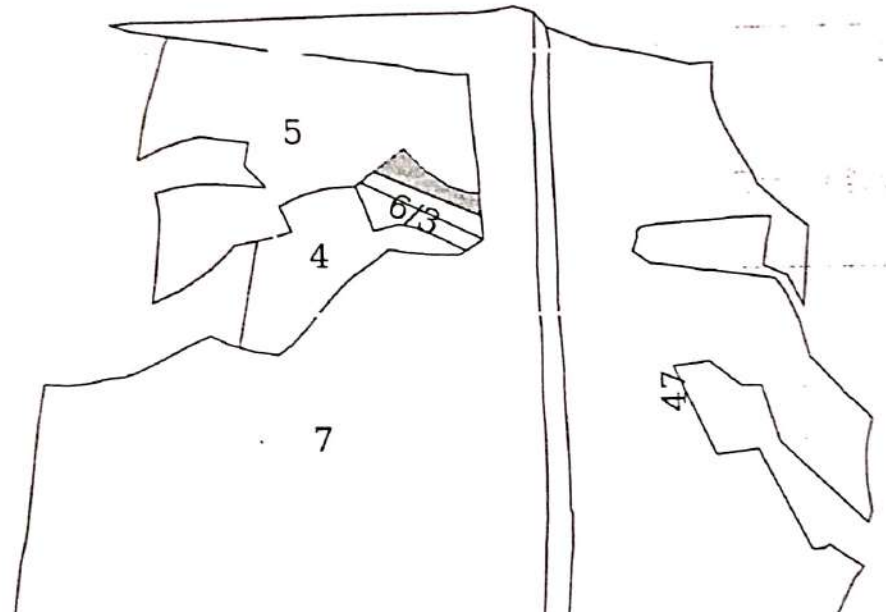

मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 6/1
धारणाधिकार : भूमिस्वामी - कृषि भूमि
रकबा : 0.0600 हेक्टेयर
सिंचित रकबा : 0.0000
असिंचित रकबा : 0.0600

नाम :शिवराम (एवं 3 अन्य)
पिता का नाम : सुखदेव
पता : सा.देह

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

कृषि वर्ष 2022-2023

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : पोरोकमेली हल्का : 00001 रा नि : बड़े बचेली तहसील : बड़ेबचेली जिला : दन्तेवाडा 20230422610500008

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसो में है ।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	0.6900 (74270.98 sq.ft) ()	छ .ग. शासन					शासकीय भूमि		सुकबती पति सोनधर वनाधिकार पत्रक धारक

वीणा मण्डावी
पटवारी
प.ह.नं. 01/भांसी

टीप:– फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा ।

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.04.22 10:24:11 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published DOC

छ. ग. शासन राजस्व विभाग

दिनांक : 23/04/2023 06.35.04 PM

खसरा नक्शा

ग्राम - पोटेकमोली, प.ह.नं. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़ेबचेली , जिला - दन्तेवाड़ा

मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 9
धारणाधिकार : शासकीय भूमि
रकबा : 0.6900 हेक्टेयर
रकबा(वर्ग फुट) : 74270.9819
सिंचित रकबा : 0.0000
असिंचित रकबा : 0.6900

नाम : छ.ग. शासन
पिता का नाम : null

वीणा ... डावी
पटवारी
प.ह.नं. 27 ...

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व सील/मुद्रा

कृषि वर्ष: 2022-2023

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : पोरोकमेली हल्का : 00001 रा नि : बड़े बचेली तहसील : बड़ेबचेली जिला : दन्तेवाडा 20230422610500006

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रूपये पैसो में है।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	0.5600 (60277.90 sq.ft) (बड़े झाड के जगल)	राजस्व राजस्व			सा.देह पोरोकमेली		शासकीय भूमि		प्रेम पिता सोनाधर वनाधिकार पत्रक धारक

वी[illegible] प.ह.नं.[illegible]/भारती

टीप – फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2 से प्राप्त होगा।

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.04.22 10:22:16 +05:30

दिनांक : 23/04/2023 06:33:54 PM

छ. ग. शासन राजस्व विभाग

खसरा नक्शा

ग्राम - पोरोकमेली, प.ह.न. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़ेबचेली , जिला - दन्तेवाडा

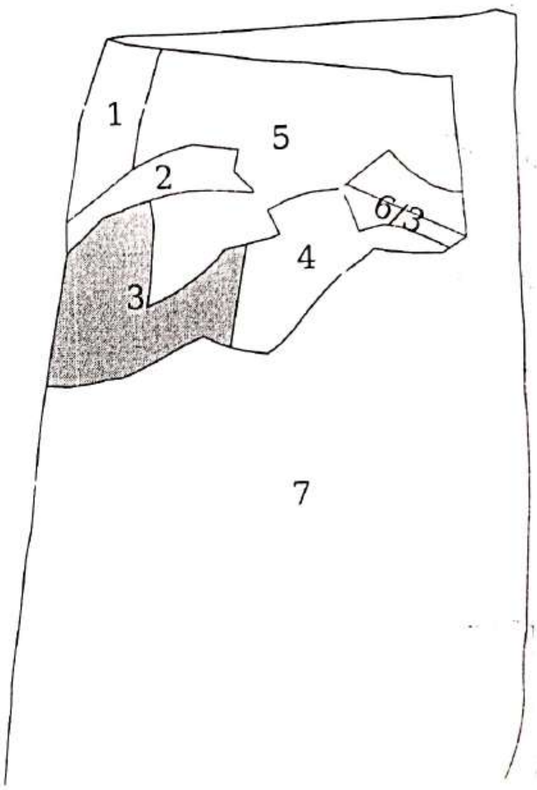

मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 3
धारणाधिकार : शासकीय भूमि
रकबा : 0.5600 हेक्टेयर
रकबा(वर्ग फुट) : 60277.8983
सिंचित रकबा : 0.0000
असिंचित रकबा : 0.5600

नाम :राजस्व
पिता का नाम : null

वीणा ... पटवारी
प.ह.नं. 01/भांसी

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

कृषि वर्ष: 2022-2023

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : पोरोकमेली हल्का : 00001 रा नि : बड़े बचेली तहसील : बड़ेबचेली जिला : दन्तेवाडा 20230422610500010

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर मे एवं करो का ब्यौरा रूपये पैसो में है |

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13/2	0.6000 (64583.46 sq.ft) (राज्य सरकार)	छ .ग. शासन			सा.देह		शासकीय भूमि		कुम्मा तेलामी पिता जग्गू ,सन्नी व अन्य वनाधिकार पत्ररक धारक

वीणा मंडावी
पटवारी
प.ह.नं. 01/भांसी

टीप:-- फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा |

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.04.22 10:26:13 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

छ. ग. शासन राजस्व विभाग

दिनांक : 23/04/2023 06:35:34 PM

खसरा नक्शा

ग्राम - पोरोकमेली, प.ह.न. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़ेबचेली , जिला - दन्तेवाडा

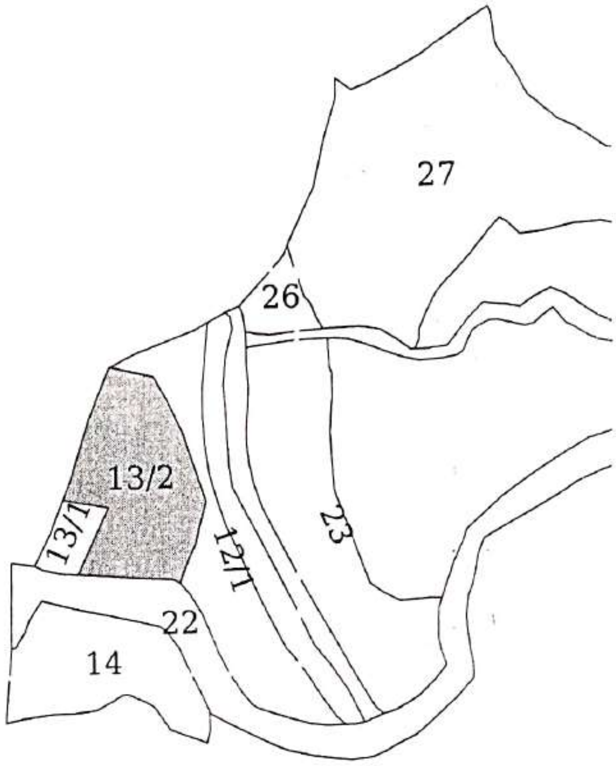

मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 13/2
धारणाधिकार : शासकीय भूमि
रकबा : 0.6000 हेक्टेयर
रकबा(वर्ग फुट) : 64583.4625
सिंचित रकबा : 0.0000
असिंचित रकबा : 0.6000

नाम : छ .ग. शासन
पिता का नाम : null

वीणा ... पटवारी
प.ह.नं. - 01 भांसी

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230324610500005

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रुपये पैसे मे

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाड़ा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तो के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
113	(1)नाम - शिवराम पिता सुखदेव वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि	5	1.2100		0.5700																	अहस्तांतरणीयमहुव ा14,आन्न2

वीणा मण्डावी
पटवारी,
... 02 मार्च

टीप - बैंक से लिये गये ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' मे ... मे अंकित

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230324610500005

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रूपये पैसो मे

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाड़ा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान न करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(2)नाम - जयराम पिता सुखदेव वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा: देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					अहस्तांतरणीयमहुवा4,आम2

वीणा मण्डावी
पटवारी

टीप:-- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' मे

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document id -20230324610500005

भूमि का ब्यौरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसो मे

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाड़ा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान न करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(3)नाम - दुखदई पति सुखदेव वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					अहस्तांतरणीयमहुवा4,आम2
कुल		1	1.2100		0.5700	0	0.5700															

वीणा मण्डावी
पटवारी
प.ह.नं. ... दंतेवाड़ा

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.03.24 21:40:44 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

टीप:-- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में

कृषि वर्ष: 2022-2023

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : पोरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाडा   20230324610500006

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसों में है |

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	1.2100	(1) शिवराम	पिता सुखदेव	कलार	सा.देह	कृषि ₹ 0.57	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		अहस्तांतरणीयमहुवा4,आम2
		(2) जयराम	पिता सुखदेव	कलार	सा देह				
		(3) दुखदई	पति सुखदेव	कलार	सा देह				

वीणा मण्डावी
पटवारी
प.ह.नं. ०१/भांसी

टीप:- फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2 से प्राप्त होगा।

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.03.24 21:41:25 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

दिनांक : 23/04/2023 06:31:46 PM

छ. ग. शासन राजस्व विभाग

खसरा नक्शा

ग्राम - पोरोकमेली, प.ह.न. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़ेबचेली , जिला - दन्तेवाड़ा

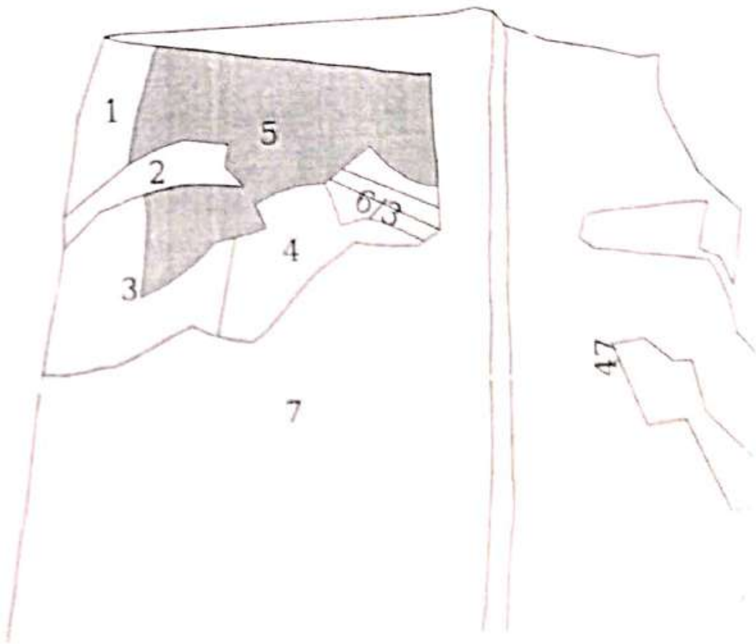

मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 5
धारणाधिकार : भूमिस्वामी - कृषि भूमि
रकबा : 1.2100 हेक्टेयर
सिंचित रकबा : 0.0000
असिंचित रकबा : 1.2100

नाम :शिवराम (एवं 2 अन्य)
पिता का नाम : सुखदेव
पता : सा.देह

वीणा मण्डावी
पटवारी
प.ह.न. [illegible]

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

कृषि वर्ष: 2022-2023

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : पौरोकमेली हल्का : 00001 रा नि : बड़े बचेली तहसील : बड़ेबचेली जिला : दन्तेवाडा 20230325610500026

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसो में है |

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	9.9700 ()	शासकीय भूमि					शासकीय भूमि		बड़े झाड़ के वनसर.चांदा 1 विद्य. 9-97

दीपक ... पटवारी प.ह.नं. 01-भांसी

टीप:-- फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा |

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.03.25 17:51:51 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

दिनांक : 23/04/2023 06:36:31 PM

छ. ग. शासन राजस्व विभाग

खसरा नक्शा

ग्राम - पोरोकमेली, प.ह.न. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़ेबचेली , जिला - दन्तेवाड़ा

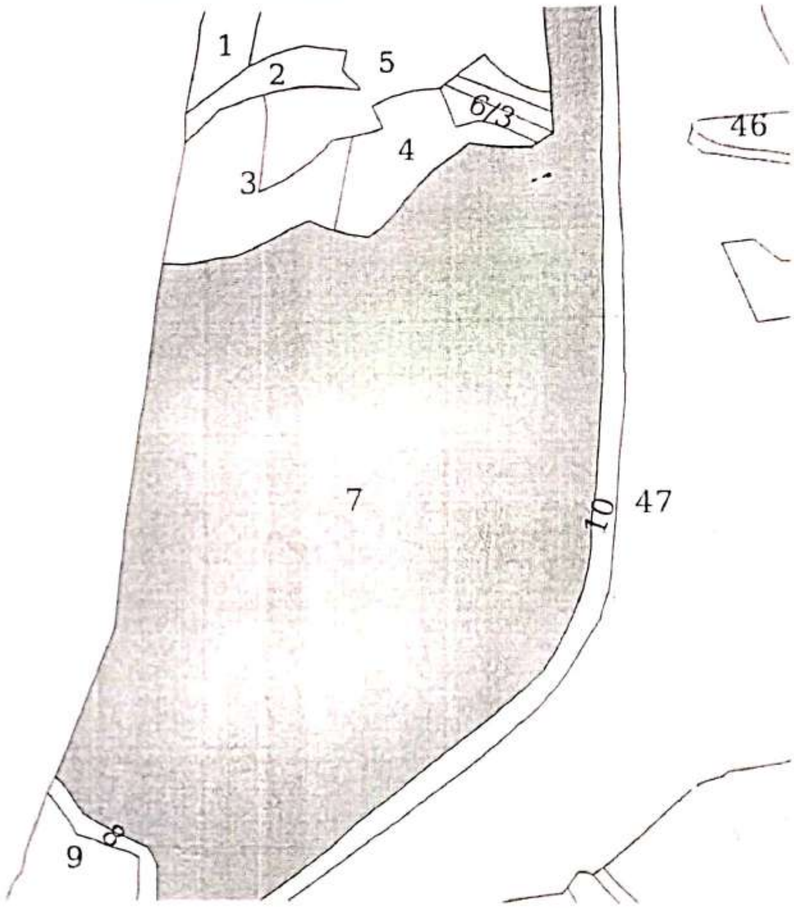

मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 7
धारणाधिकार : शासकीय भूमि
रकबा : 9.9700 हेक्टेयर
सिंचित रकबा : 9.9700
असिंचित रकबा : 0.0000

नाम :शासकीय भूमि
पिता का नाम : null
पता :

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रुपये पैसो मे

Document Id -20230423610500001

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान न करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
79	(1)नाम - चम्मोबाई पति स्व.सोनाधर वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि	4	0.4000		0.2900																	शा.पटटे.कलेक्टर के बिना महुवा2,आम1,तेंदु2 अनु. के भूमि अहस्ता. नामांतरण क्रमांक 6105101/100321 /00001 आदेश क्रमांक 13 / 06 Mar 2021

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रूपये पैसो मे

Document Id -20230423610500001

ग्राम : पोरोकमेली हल्का : 00001 रा नि : बड़े बचेली तहसील : बड़ेबचेली जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान न करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(2)नाम - प्रेम पिता सोनाधर वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					शा.पटटे.कलेक्टर के बिना महुवा2,आम1,तेंदु2 अनु. के भूमि अहस्ता.

टीप:– बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में तथा फसल ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2 में अंकित है ।

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रुपये पैसों मे

Document Id -20230423610500001

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(3)नाम - हरिराम पिता सोनाधर वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					शा.पटटे.कलेक्टर के बिना महुवा2,आम1,तेंदु2 अनु. के भूमि अहस्ता.

टीप:– बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में तथा फसल ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2 में अंकित है |

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रुपये पैसो मे

Document Id -20230423610500001

ग्राम : पोरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान न करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(4)नाम - कृष्णकुमार पिता सोनाधर वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि	68	0.2000																			शा.पटटे.कलेक्टर के बिना महुवा2,आम1,तेंदु2 अनु. के भूमि अहस्ता. अहस्तांतरणीयआम 2,तेंदु1,जाम1

टीप:-- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में तथा फसल ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2 में अंकित है |

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-1 किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230423610500001

भूमि का ब्योरा हैक्टयर मे एव करो का ब्योरा रूपये पैसो मे

ग्राम : पोरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
कुल		2	0.6000		0.2900	0	0.2900															

Veena
01/आरती

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.01.23 16:01:50 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

टीप:- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1 में तथा फसल ऋण का विवरण फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2 मे अंकित है ।

कृषि वर्ष: 2022-2023

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

20230423610500002

ग्राम : पोरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाडा

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर मे एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसो मे है ।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण: नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान	प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	0.4000	(1) चम्मोबाई	पति स्व.सोनाधर	कलार	सा.देह	कृषि ₹ 0.29	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		शा.पटटे.कलेक्टर के बिना महुवा2,आम1,तेंदु2अनु. के भूमि अहस्ता.
		(2) प्रेम	पिता सोनाधर	कलार	सा.देह				
		(3) हरिराम	पिता सोनाधर	कलार	सा.देह				
		(4) कृष्णकुमार	पिता सोनाधर	कलार	सा.देह				
68	0.2000	खसरा नंबर - 4 के अनुसार	खसरा नंबर - 4 के अनुसार.	खसरा नंबर - 4 के अनुसार	खसरा नंबर - 4 के अनुसार	कृषि ₹ 0.00	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		

टीप – फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा |

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.04.23 16:02:25 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

दिनांक : 23/04/2023 06:30:47 PM

छ. ग. शासन राजस्व विभाग

खसरा नक्शा

ग्राम - पोरोकमेली, प.ह.न. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़ेबचेली , जिला - दन्तेवाड़ा

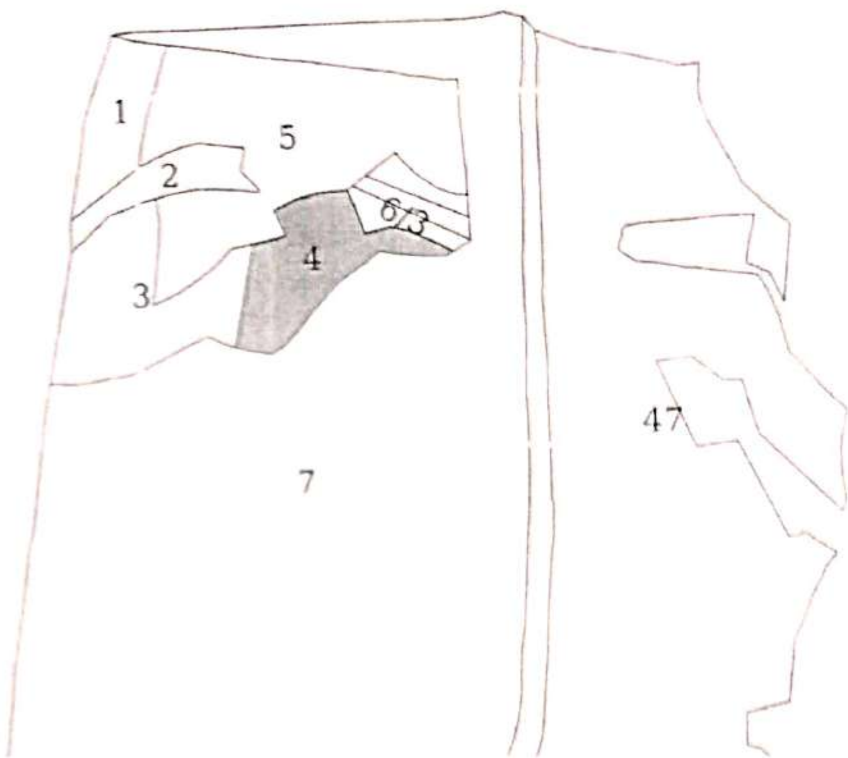

मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 4
धारणाधिकार : भूमिस्वामी - कृषि भूमि
रकबा : 0.4000 हेक्टेयर
सिंचित रकबा : 0.0000
असिंचित रकबा : 0.4000

नाम : धम्मोबाई (एव 3 अन्य)
पति का नाम : स्व.सोनाधर
पता : सा.देह

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230325610500009

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रुपये पैसो मे

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
80	(1)नाम - चन्नोबाई पति सोनाधर वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- पोरोकमेली स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि	2	0.1500		0.8000																	नामांतरण क्रमांक 6105101/250717 /00262 आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र.01/अ-6 (अ)/2016-17 / 29 Sep 2017

टीप:– बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' मे तथा फसल ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2 मे अंकित है।

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230325610500009

भूमि का ब्यारा हेक्टयर में एवं करों का ब्योरा रुपये पैसों में

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाड़ा

खाते के ब्यौरे					चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान न करने वाले व्यक्ति का नाम	भूगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		6/3	0.0600																			नामांतरण क्रमांक 6105101/250717/00261 आदेश क्रमांक 5/43,आ पारित दिनांक21/04/2015 ,ग्रामपंचायत भांसी

टीप:-- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में तथा फसल ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2 मे अंकित है।

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230325610500009

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रुपये पैसो मे

जिला : दन्तेवाडा

तहसील : बड़ेबचेली

रा नि : बड़े बचेली

हल्का : 00001

ग्राम : पोरोकमेली

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		55/3	0.1400																			नामांतरण क्रमांक 6105101/250717/00261 आदेश क्रमांक 5/43,अ पारित दिनांक21/04/2015 ,ग्रामपंचायत भांसी
कुल		3	0.3500		0.8000	0	0.8000															

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.03.25 17:33:27 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

टीप:- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में तथा फसल ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-II' मे अंकित है।

कृषि वर्ष: 2022-2023

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : पोरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाड़ा   20230325610500010

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसो में है ।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	0.1500	चम्पोबाई	पति सोनाधर	कलार	पोरोकमेली	कृषि ₹ 0.80	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		
6/3	0.0600	खसरा नंबर - 2 के अनुसार	खसरा नंबर - 2 के अनुसार	खसरा नंबर - 2 के अनुसार	खसरा नंबर - 2 के अनुसार	कृषि ₹ 0.00	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		
55/3	0.1400	खसरा नंबर - 2 के अनुसार	खसरा नंबर - 2 के अनुसार	खसरा नंबर - 2 के अनुसार	खसरा नंबर - 2 के अनुसार	कृषि ₹ 0.00	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		

टीप – फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा ।

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.03.25 17:33:44 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

दिनांक : 23/04/2023 06:29:57 PM

छ. ग. शासन राजस्व विभाग

खसरा नक्शा

ग्राम - पोरोकमेली, प.ह.न. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़ेबचेली , जिला - दन्तेवाड़ा

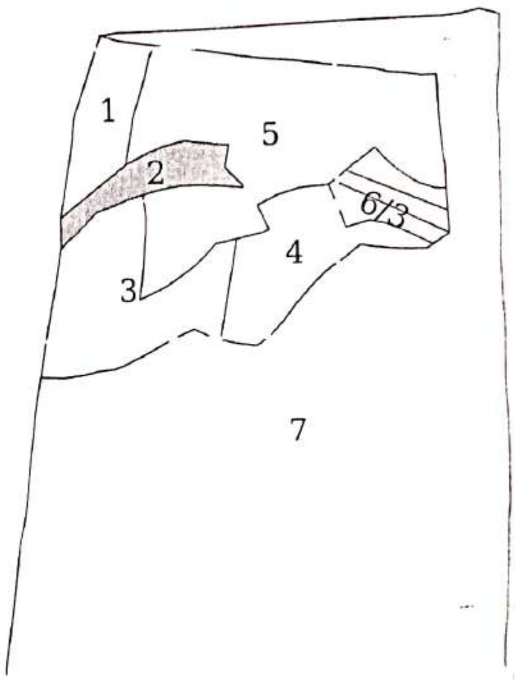

मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 2
धारणाधिकार : भूमिस्वामी - कृषि भूमि
रकबा : 0.1500 हेक्टेयर
सिंचित रकबा : 0.0000
असिंचित रकबा : 0.1500

नाम :चम्मोबाई
पति का नाम : सोनाधर
पता : पोरोकमेली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

दिनांक : 23/04/2023 06:31:12 PM

छ. ग. शासन राजस्व विभाग

खसरा नक्शा

ग्राम - पोरोकमेली, प.ह.न. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़ेबचेली , जिला - दन्तेवाड़ा

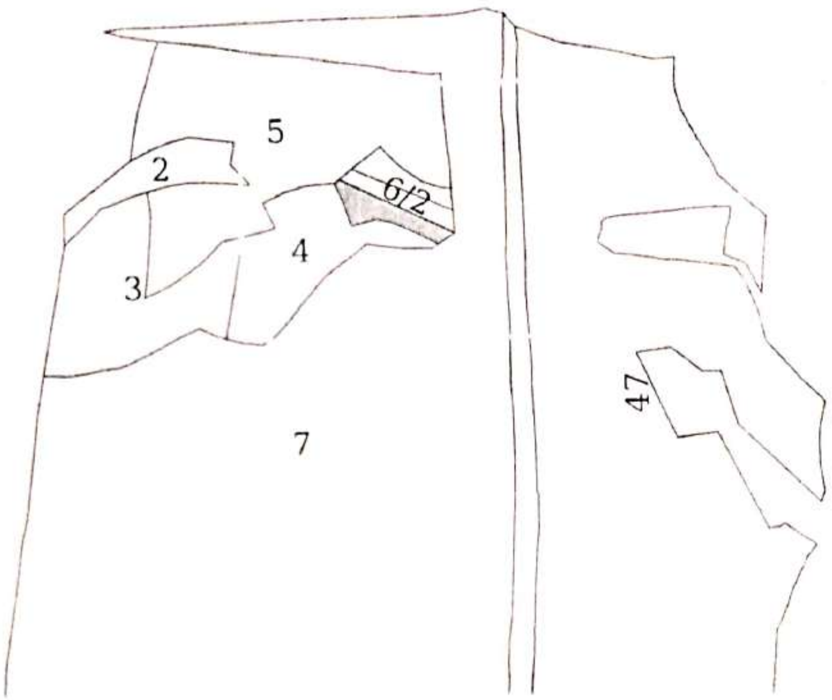

मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 6/3
धारणाधिकार : भूमिस्वामी - कृषि भूमि
रकबा : 0.0600 हेक्टेयर
सिंचित रकबा : 0.0600
असिंचित रकबा : 0.0000

नाम :चम्पोबाई
पति का नाम : सोनाधर
पता : पोरोकमेली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230328610500017

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रूपये पैसो मे

जिला : दन्तेवाडा

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान न करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
82	(1)नाम - जमुना पति स्व शिवनाथ वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि	6/2	0.0800		0.1800																	नामांतरण क्रमांक 6105101/250323/00120 आदेश क्रमांक पूर्व पारित आदेश / 22 Nov 2022

वीणा [illegible]
पटवारी
प.ह.नं. [illegible]

टीप:- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230328610500017

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रूपये पैसो मे

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाडा

खाते के ब्यौरे					चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भूगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(2)नाम - दुसेन पिता स्व शिवनाथ वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

दीपा [illegible]
पटवारी
प.ह.नं. 01/भारत

टीप:– बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में [illegible] ऋण का विवरण फॉर्म पी-II खसरा खण्ड 2 में अंकित है।

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230328610500017

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रूपये पैसो मे

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाड़ा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(3)नाम - मुन्ना पिता स्व शिवनाथ वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

टीप:– बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230328610500017

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रुपये पैसो मे

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाडा

खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	चालू और बकाया माँग: भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	वसूलियाँ: भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	खजाने मे जमा करने के ब्यौरे: रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी: भू-राजस्व	उपकर	योग	वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ: भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(4)नाम - सुबती पिता स्व शिवनाथ वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

टीप:– बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में तथा फसल ऋण का विवरण फॉर्म पी-II खसरा खण्ड 2 में अंकित है।

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230328610500017

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रूपये पैसो मे

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान न करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(5)नाम - सुबाई पिता स्व शिवनाथ वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा देह पोरोकमेली स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

वीणा ... पटवारी
प.ह.नं. 01/भांसी

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230328610500017

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रूपये पैसो मे

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(6)नाम - गीता पिता स्व शिवनाथ वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- कलार पता- सा देह पोरोकमेली स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					
कुल		1	0.0800		0.1800	0	0.1800															

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.03.28 18:31:04 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

टीप:- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में [illegible] में अंकित है।

कृषि वर्ष: 2022-2023

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : पोरोकमेली हल्का : 00001 रा नि : बड़े बचेली तहसील : बड़ेबचेली जिला : दन्तेवाडा 20230328610500018

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर मे एवं करो का ब्यौरा रूपये पैसो मे है |

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6/2	0.0800	(1) जमुना	पति स्व शिवनाथ	कलार	सा.देह	कृषि ₹ 0.18	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		
		(2) दुसेन	पिता स्व शिवनाथ	कलार	सा.देह				
		(3) मुन्ना	पिता स्व शिवनाथ	कलार	सा.देह				
		(4) सुबती	पिता स्व शिवनाथ	कलार	सा.देह				
		(5) सुबाई	पिता स्व शिवनाथ	कलार	सा देह पोरोकमेली				

वीणा ... [illegible]
प.ह.नं. [illegible]

टीप -- फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा |

कृषि वर्ष: 2022-2023

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

20230328610500018

ग्राम : पोरोकमेली हल्का : 00001 रा नि : बड़े बचेली तहसील : बड़ेबचेली जिला : दन्तेवाडा

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रूपये पैसो में है ।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(6) गीता	पिता स्व शिवनाथ	कलार	सा देह पोरोकमेली				

वीणा मण्डावी
पटवारी
प.ह.नं. 01 भांसी

टीप:- फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा ।

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.03.28 18:31:20 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

छ. ग. शासन राजस्व विभाग

दिनांक : 23/04/2023 06:32:54 PM

खसरा नक्शा

ग्राम - पोरोकमेली, प.ह.न. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़ेबचेली , जिला - दन्तेवाड़ा

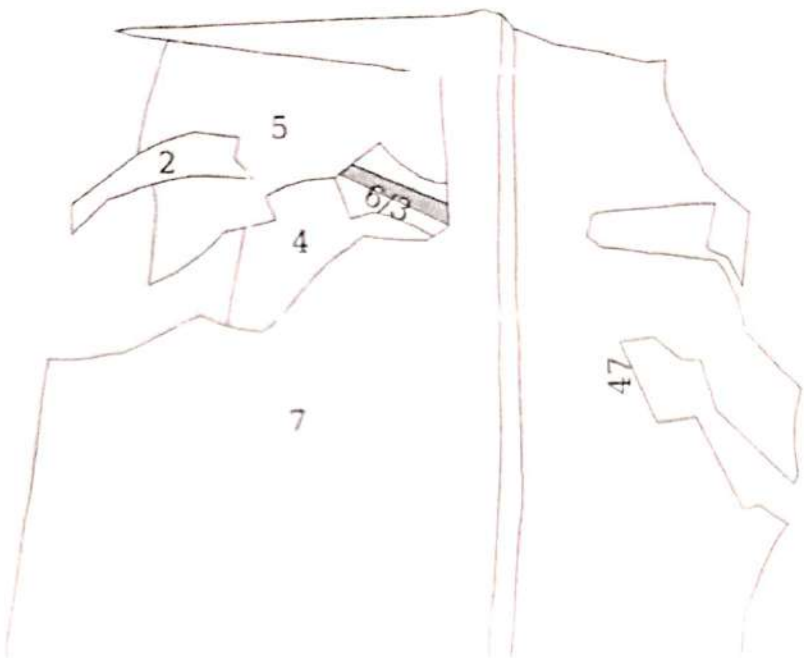

मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 6/2
धारणाधिकार : भूमिस्वामी - कृषि भूमि
रकबा : 0.0800 हेक्टेयर
सिंचित रकबा : 0.0000
असिंचित रकबा : 0.0800

नाम :जमुना (एव 5 अन्य)
पति का नाम : स्व शिवनाथ
पता : सा.देह

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

वर्ष 2022-2023

फॉर्म बी-1 किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

भूमि का ब्यौरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसे मे

Document Id -20230410610500005

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया मांग			वसूलियां					खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियां			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तो के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
105	(1)[illegible] - [illegible] पिता भीमा [illegible] अनु जनजाति जाति- माड़िया पता- [illegible] स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि	12/1	0.5900		11.930 0																	नामांतरण क्रमांक 6105101/190318 /00026 आदेश क्रमांक 122,gram panchayat bhansi / 17 Jan 2018

वीणा [illegible]
पटवारी
प.ह.नं. [illegible]

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रुपये पैसे मे

Document Id -20230410610500005

ग्राम : पोरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाड़ा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया मॉंग				वसूलियॉं				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियॉं			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(2)नाम - पायके पति भीमा वर्ग- अनु . जनजाति जाति- माडिया पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

वीणा [illegible]
प्रभारी
प.ह.नं. [illegible]

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230410610500005

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रुपये पैसो मे

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाडा

खाते के ब्यौरे					चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(3)नाम - सुरेश पिता आयतू वर्ग- अनु . जनजाति जाति- माडिया पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

पटवारी [signature]
प.ह.नं. ... आरंग

टीप:-- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' मे

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रुपये पैसो मे

Document Id -20230410610500005

ग्राम : पोरोकमेली　हल्का : 00001　रा नि : बड़े बचेली　तहसील : बड़ेबचेली　जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(4)नाम - सुक्को पिता जग्गू वर्ग- अनु . जनजाति जाति- माडिया सता- सा-देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

वीणा [illegible] प.ह.नं. 01 भांसी

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230410610500005

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रुपये पैसे मे

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बडे बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(6)नाम - सनकी पति जग्गू वर्ग- अनु . जनजाति जाति- माडिया पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

वीणा ... पटवारी
प.ह.न. ... बारसूर

टीप:-- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रुपये पैसे मे

Document Id -20230410610500005

ग्राम : पोरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बडे बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाड़ा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(5)नाम - फूलो पिता जग्गू वर्ग- अनु . जनजाति जाति- माडिया पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

दीपक ... वी
प.ह.नं. ... /भारसं

वर्ष 2022-2023

फॉर्म बी-1 किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230410610500005

भूमि का ब्यौरा हेक्टयर में एवं करों का ब्यौरा रुपये पैसे में

ग्राम : चीतोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाड़ा

खाते के ब्यौरे					चालू और बकाया मांग				वसूलियाँ				खजाने में जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते में शामिल प्रत्येक भू-आपन क. का क.	प्रत्येक भू-आपन क. का हेक्टेयर और खाते का कुल हेक्टेयर	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान न करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(7)नाका बुधरी पति अन्नू, जाति अनु. जनजाति अधि. अधिवास पता. डा.टेर व्यक्तिगत भूमिस्वामी कृषि भूमि																					

वीणा [illegible] पटवारी
प.ह.नं. [illegible]

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रूपये पैसो मे

Document Id -20230410610500005

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया मॉंग				वसूलियॉं				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियॉं			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भूगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(8)नाम - ना.बा.रीना पिता कुमारु वर्ग- अनु . जनजाति जाति- माडिया पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

दीपक [illegible]
प.ह.प. [illegible]

टीप.-- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में [illegible]

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रुपये पैसो मे

Document Id -20230410610500005

ग्राम : पोरोकमेली | हल्का : 00001 | रा नि : बड़े बचेली | तहसील : बड़ेबचेली | जिला : दन्तेवाड़ा

खाते के ब्यौरे					चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(9)नाम - ना.बा.मुस्कान पिता कुमारु वर्ग- अनु . जनजाति जाति-; माडिया पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

वीणा गण्डावी
पटवारी
प.ह.न. 01 भांसी

टीप:-- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में [illegible]

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एव करो का ब्योरा रुपये पैसो मे

Document Id -20230410610500005

ग्राम : पोरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(10)नाम - ना.बा.सुनीता पिता कुमारू वर्ग- अनु . जनजाति जाति- माडिया पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

पटवारी
प.ह.न. 01/आर

वर्ष 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230410610500005

भूमि का ब्यौरा हैक्टयर में एवं करों का ब्यौरा रुपये पैसे में

ग्राम : पीरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाडा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने में जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते में शामिल पत्रेक भू-मापन क्र का क्र	पत्रेक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान न करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अवताब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(11)नाम - [illegible] पिता [illegible] जाति- [illegible] पता- [illegible] भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

दीपक [illegible]
प.[illegible]

फॉर्म बी-1 किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष 2022-2023

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में तथा बकाया का ब्यौरा रुपये पैसे में

Document Id -20230410610500005

ग्राम : [illegible] हल्का 00001 रा नि मं [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया मांग				वसूलियाँ				खजाने में जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते में शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर प्रभाव	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बकाया आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	(12)नाम - लक्ष्मी पति कुमार वर्ग- अनु जनजाति जाति- मझिया पता- सा.देह स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																					

दीपा [illegible]
पटवारी
प.ह नं [illegible]

वर्ष 2022-2023

फॉर्म बी-1 किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230410610500005

भूमि का ब्यौरा हेक्टयर मे तथा करो का ब्यौरा रुपये पैसे मे

ग्राम : पोरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाडा

खाते के ब्यौरे					चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तो के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान न करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		20/1	0.6100																			नामांतरण क्रमांक 6105101/130717/00252 आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. 01/अ-24/2016-17 / 19 May 2017
		24	2.1900																			महुवा3,आम2
		28	1.0300																			इमली2,पनस1 ,महुवा3

प.ह.नं. 01 भारसी

टीप – बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' मे

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रूपये पैसे मे

Document Id -20230410610500005

ग्राम : पोरोकमेली　　हल्का : 00001　　रा नि : बड़े बचेली　　तहसील : बड़ेबचेली　　जिला : दन्तेवाड़ा

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया मॉंग				वसूलियॉं				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियॉं			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		32	0.5400																			महुवा2
		66/1	9.5500																			
		76	4.8800																			महुवा5,इमली3
		92	0.0900																			महुवा2
कुल		8	19.4800		11.9300	0	11.9300															

पटवारी
प.ह.नं. [illegible]

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.04.13 10:01:48 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

टीप:-- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में

कृषि वर्ष 2022-2023

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

20230410610500006

ग्राम : पौरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाडा

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर मे एव करो का ब्यौरा रुपये पैसो मे है ।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12/1	0.5900	(1) रमेश	पिता भीमा	माडिया	सा.देह	कृषि ₹ 6.10	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		
		(2) पायके	पति भीमा	माडिया	सा.देह				
		(3) सुरेश	पिता आयतू	माडिया	सा.देह				
		(4) सुक्को	पिता जग्गू	माडिया	सा.देह				
		(5) फूलो	पिता जग्गू	माडिया	सा.देह				

पटवारी
प.ह.नं. 01

टीप -- फसले विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा ।

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

कृषि वर्ष 2022-2023

ग्राम : पोरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाड़ा   20230410610500006

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रुपये पैसो में है ।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरूषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(6) सनकी	पति जग्गू	माडिया	सा.देह				
		(7) बुधरी	पति जग्गू	माडिया	सा.देह				
		(8) ना.बा.रीना	पिता कुमारू	माडिया	सा.देह				
		(9) ना.बा.मुस्कान	पिता कुमारू	माडिया	सा.देह				
		(10) ना.बा.सुनीता	पिता कुमारू	माडिया	सा.देह				

दीपक मण्डावी

टीपः-- फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा ।

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

कृषि वर्ष: 2022-2023

ग्राम : पोरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला . दन्तेवाडा   20230410610500006

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एव करो का ब्यौरा रूपये पैसो मे है ।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(11) ना.बा.सोनी	पिता कुमारू	माडिया	सा.देह				
		(12) लक्ष्मी	पति कुमारू	माडिया	सा.देह				
20/1	0.6100	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	कृषि ₹ 0.00	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		
24	2.1900	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	कृषि ₹ 0.00	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		
28	1.0300	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	कृषि ₹ 0.00	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		

दीपा [illegible]
प.ह.नं. [illegible]

टीप -- फसले विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा ।

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

कृषि वर्ष 2022-2023

ग्राम : पोरोकमेली   हल्का : 00001   रा नि : बड़े बचेली   तहसील : बड़ेबचेली   जिला : दन्तेवाडा   20230410610500006

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसो में है ।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
32	0.5400	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	कृषि ₹ 0.00	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		
66/1	9.5500	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	कृषि ₹ 5.83	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		
76	4.8800	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	कृषि ₹ 0.00	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		
92	0.0900	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	खसरा नंबर - 12/1 के अनुसार	कृषि ₹ 0.00	भूमिस्वामी - कृषि भूमि		

वीणा मण्डावी
पटवारी
प.ह.नं. [illegible]

टीप:-- फसले विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा ।

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.04.13 10:02:14 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

दिनांक : 23/04/2023 06:33:28 PM

छ. ग. शासन राजस्व विभाग

खसरा नक्शा

ग्राम - पोरोकमेली, प.ह.न. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़ेबचेली , जिला - दन्तेवाड़ा

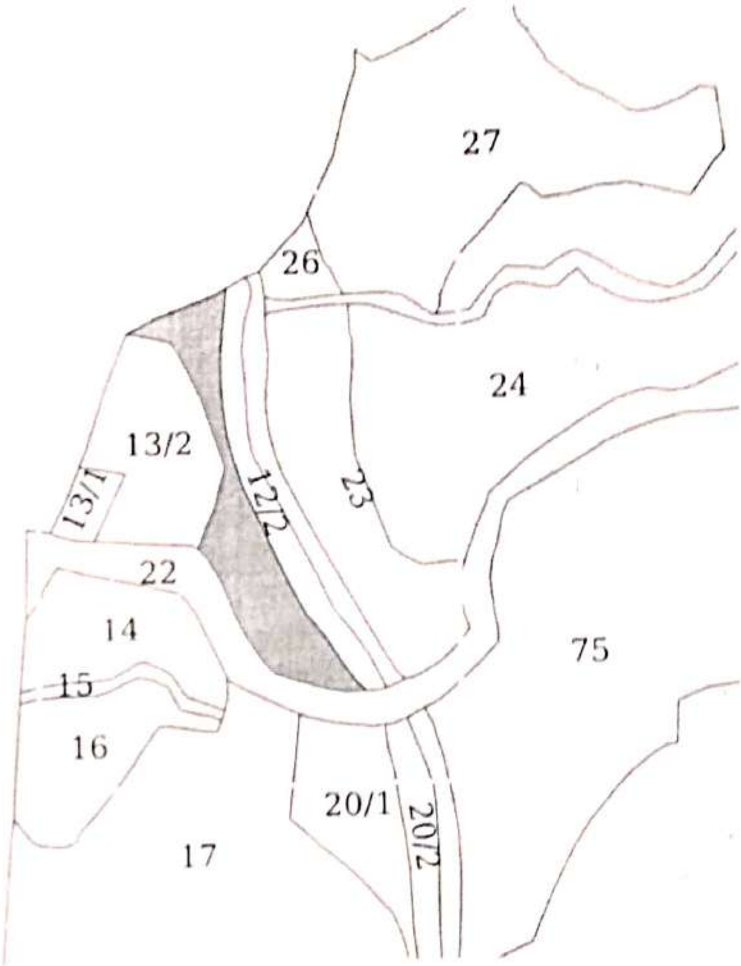

मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 12/1
धारणाधिकार : भूमिस्वामी - कृषि भूमि
रकबा : 0.5900 हेक्टेयर
सिंचित रकबा : 0.0000
असिंचित रकबा : 0.5900

नाम : रमेश (एवं 11 अन्य)
पिता का नाम : भीमा
पता : सा॰देह

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा